उत्तराखण्ड सरकार

वित्त मंत्री

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल

का

वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

आदरणीय अध्यक्ष जी,

1. अमृत काल का यह प्रथम बजट है। मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आदरपूर्वक नमन् करता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आजादी के 100 वी वर्षगांठ में राष्ट्र को अग्रणी राष्ट्र के रूप में प्रतिस्थापित करने की यात्रा में यह बजट हमारी भूमिका का निर्धारक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र '**रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म**' को आत्मसात कर हम प्रधानमंत्री जी के सपनों के भारत को बनाने के लिए एक अग्रणी राज्य के रूप में अपनी सक्रिय सहभागिता के लिए तैयार हैं।

2. हम सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्ग निर्देशन में विभिन्न केंद्रीय एवं केंद्र पोषित योजनाओं के माध्यम से समावेशी विकास एवं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल परिवेश तैयार हो रहा है। विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में पूंजीगत निवेश में वृद्धि हो रही है। निवेश ड्राइव को बनाए रखने में एक ओर, **नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन** ने निवेश योग्य परियोजनाओं का एक दूरदर्शी रोडमैप प्रदान किया, और दूसरी ओर **पी.एम. गतिशक्ति** ने विकास के **सात इंजनों–सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना** को एकीकृत करके अवसंरचना के विकास में तेजी लाने में मदद की है। **यह समग्र परिवेश** उत्तराखण्ड सहित समूचे देश में एक अनुकूल वातावरण का निर्माण कर रहा है।

3. उत्तराखण्ड को **''सशक्त उत्तराखण्ड''** बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को इस अभूतपूर्ण परिवेश से शक्ति मिलती है। इस प्रेरणा पुंज से अनुकूल वातावरण का निर्माण हो रहा है। एक राज्य के रूप में अग्रणी राज्य बनने के लिए हम निरन्तर अभिप्रेरित हो रहे है। यात्रा प्रारम्भ हो चुकी है। हम विकास के चक्र को गति प्रदान कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों से आर्थिक विकास में गति और **सस्टेनेबिलिटी** (संधारणीयता) आ सकेगी और हमारे प्रदेश वासियों को एक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन मिल सकेगा।

4. हमने सशक्त उत्तराखण्ड का संकल्प लिया है। हमने **अग्रणी उत्तराखण्ड** को ध्येय वाक्य माना है और हम **इस संकल्प की सिद्धी** के लिए बहुआयामी कार्य योजना प्रारम्भ कर चुके हैं। हम एक ओर **व्यवसायियों, उद्योगपतियों और नये उद्यमियों** में उद्यमिता की

भावना तथा शक्ति का संचार करने के लिए आवश्यक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कमजोर और गरीब लोगों के विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं और अवसर सुनिश्चित कर रहे हैं। हम चाहतें हैं कि विकास के ये **सुफल समावेशी हों और अंतिम छोर तक पहुंचे, सभी क्षेत्रों और नागरिकों तक पहुंचे, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, और उद्यमियों तक पहुंचे।** हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये मन्त्र **सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारीकरण** के मार्ग पर पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है।

5. केन्द्र सरकार की प्रेरणा से हमने केन्द्रीय बजट में निर्दिष्ट **''सप्तर्षि''** से स्वयं को सम्बद्ध किया है तथा **समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच और वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे का विकास, निवेश क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र** को वक्त का तकाजा मानते हुए तद्नरूप आवश्यक नीतिगत परिवर्तन व बजटीय प्रावधान करने को प्राथमिकता दी है।

6. बजट निर्माण में जन सहभागिता के अभिनव प्रयोग हमने गत वर्ष किये थे। इस श्रंखला को अधिक विकेन्द्रित करते हुवे इस वर्ष मंडल के स्थान पर जनपदवार **पूर्व–बजट संवाद** आयोजित किये गये है। हमने **ई–मेल**, **बजट निदेशालय की वेबसाइट** और **व्हाट्सएप** के माध्यम से भी सम्मानित जनता के सुझाव आंमत्रित किये थे। इन सुझावों को विभागीय स्तर पर परीक्षण किया गया तथा जनहितकारी सुझावों को विद्यमान योजना अथवा नई मांग के माध्यम से समाविष्ट करने का प्रयास किया है।

7. इस बजट में पिछली बजट की नींव पर सतत् विकास करते हुए **अग्रणी उत्तराखण्ड** के लिए खींची गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। हम क्रमबद्ध प्रयासों के द्वारा आगामी तीन वर्षों में प्राथमिकता के साथ कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। मैं यहां कुछ ऐसे ही बिन्दुओं का उल्लेख कर रहा हूँ :–

- स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबन्धन,
- समस्त फल उत्पादक क्लस्टर में उपज को मण्डी तक पहुँचाने के लिए संयोजकता,
- औद्यानिक फसल को प्रोत्साहित करने के लिए पॉलीहाउस,
- समस्त राजकीय शिक्षण संस्थान और कार्यालयों में इण्टरनेट कनेक्टिविटी,

- क्लस्टरवार उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण,
- पार्किंग सुविधाओं का विकास,
- रोड़ सेफ्टी के लिए क्रैश बैरियर एवं
- पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण व आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर हेलीपैड का निर्माण।

8. हमारे ये लक्ष्य **सशक्त उत्तराखण्ड @2025** की दिशा में किए जा रहे हमारे प्रयासों का प्रतिबिंब है। प्राथमिकता वाले लक्ष्यों का प्रसंगवश आगामी पृष्ठों में भी उल्लेख होगा।

9. इस दशक को **उत्तराखण्ड का दशक** बनाने के लिए और उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमने **सात प्राथमिक बिंदुओं** पर इस बजट को विशेष रूप से केन्द्रित करने का प्रयास किया है:–

- **मानव पूंजी में निवेश।**
  इस हेतु पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और संर्वागीण विकास के दृष्टिगत अनेक क्षेत्रों में बजटीय प्रावधान करते हुए एक अनुकूल परिवेश बनाने का प्रयास किया गया है।
- **समग्र कल्याण की दृष्टि से क्षमता संवर्धन द्वारा समावेशी विकास**।
  इस हेतु अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की क्षमता में संवर्धन कर उन्हें नए अवसरों का उपयोग करने के लिए एक बेहतर परिवेश देते हुए समावेशी विकास की यात्रा में सम्मिलित करने के लिए सतत् प्रयास किया जा रहा है।
- **स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता।**
  इस हेतु सुलभ व बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं एवं चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है।
- **पूंजीगत व्यय में वृद्धि तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों का सृजन व अनुरक्षण।**
  इस हेतु भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि की जा रही है तथा परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए भी आवश्यक प्रावधान किये जा रहे हैं।
- **निर्वाध एवं सुरक्षित संयोजकता।**
- इस हेतु रोड़ सेफ्टी, सड़क अनुरक्षण व निर्माण आदि में विशेष प्रावधान किये जा रहे है। साथ ही एयर कनेक्टिविटी, रोप–वे, मेट्रो रेल हेतु विविध प्रावधान किये जा रहे हैं।

- **प्रौद्योगिकी आधारित विकास।**
  इस हेतु विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक टेक्नोलॉजी के समावेश को प्रोत्साहित किया जा रहा हैं।
- **इकोलॉजी एवं इकोनामी का संतुलन।**
  हमने विकास की गतिविधियों को पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन से सम्बद्ध किया है। पहली बार हम पूंजीगत परिव्यय का **0.5 प्रतिशत् ''जलवायु परिवर्तन शमन''** के लिए प्रावधान कर रहे हैं। यह इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन स्थापित करने के लिए हमारी प्राथमिकता का साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त **हमारी सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सिंगल यूज प्लॉस्टिक के विकल्प को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता दी जा रही है, इको टूरिज्म और होम स्टे को प्रोत्साहित किया जा रहा है** और **इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए इस बजट में नई मांग का प्रावधान किया गया है।**

''प्रकृति हमें संरक्षित करती है,
और हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे।''

अध्यक्ष जी,

10. ये सात बिन्दु हमारी उम्मीदों की किरण है। इन **सप्त किरणों से जो इन्द्रधनुष बनेगा वह एक ऐसे इकोसिस्टम को प्रतिबिम्बित करेगा जो स्वावलम्बन, स्वरोजगार और रोजगार के परिवेश को दृढ़ता प्रदान करेगा।**

11. हमने इस सरकार के प्रथम बजट में कई पहल की थी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में भी पर्याप्त आवंटन किए गए हैं।

12. यह गर्व का विषय है कि इस वर्ष **G-20 सम्मेलन** की मेजबानी का गौरव हमारे देश को प्राप्त हुआ है, यह अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि हमारे प्रदेश में भी G-20 की तीन संगोष्ठियां होंगी। **हमारे स्थानीय उत्पाद, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हमारी योग साधना, हमारे वातावरण की अध्यात्मिकता और आयुष ज्ञान** की असीम सम्भावनाओं को विश्व पटल पर लाने के लिए यह एक बड़ा अवसर है। यह पर्यटन के क्षेत्र में देश ही नही अपितु पूरे विश्व के लिए उत्तराखण्ड को आकर्षण का केन्द्र बनाने

का अवसर है। इस बजट में इस आयोजन के लिए **रू. एक सौ करोड़ (रू. 100.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

13. हमारी सरकार **युवा शक्ति, अन्नदाता, स्टार्ट अप, निवेशक,** और **कर्मठ कर्मकार** के साथ खड़ी है।

''एक ही ध्येय है,
एक ही आराधना।
अग्रणी राज्य की कामना,
हम आगे बढ़ रहे है।''

14. **सुशासन की दिशा में हमारे कदम निरन्तर बढ़ रहे हैं। अपणि सरकार पोर्टल, ई–कैबिनेट, ई–ऑफिस, सी.एम. हेल्पलाइन 1905, सेवा का अधिकार** रूपी प्रभावी अस्त्र जनता के पास उपलब्ध हैं। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु भ्रष्टाचार मुक्त एप–1064 क्रियाशील है। शिकायतों पर गम्भीरता से एक्शन लिया जा रहा है।

15. हम युवा प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। राज्य में पहली बार भर्तियों मे घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को जड़ से खत्म करने के लिए **हमने देश का सबसे सख्त कानून बनाया है, जिसमें नकल करने वाले व्यक्ति के लिए अधिकतम् उम्र कैद के साथ ही सारी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है।** उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्तियो को राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया गया हैं। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। भर्तियां पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ नकलविहीन सम्पन्न कराने के लिए हम प्रतिबद्ध है।

अध्यक्ष जी,

16. एक राज्य के रूप में हमारी शक्ति का वास्तविक मापदण्ड हमारी युवा शक्ति है। मैं इस अवसर पर **स्वामी विवेकानंद जी** का प्रेरणादायी कथन उद्धृत कर रहा हूँ :–

''सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है।
आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते है।
उस पर विश्वास करो,
यह मत मानो कि तुम कमजोर हो''।

17. **इनोवेशन, इन्क्यूबेशन और स्टार्ट अप की त्रिवेणी युवा शक्ति के दम पर है।** हमारी युवा शक्ति नए ट्रैंड सैट कर रही है, नए वेंचर शुरू कर रही है और दूसरो को रोजगार दे रही है। **हम राज्यहित में, राष्ट्रहित में और मानवता के हित में** इस शक्ति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए हमारे इस **बजट के केन्द्र में आप युवा शक्ति के प्रति हमारे सरोकार और हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिम्ब पायेंगे।** हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें युवा नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी प्रदाता बनेगा तथा अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार स्वरोजगार या रोजगार प्राप्त कर सकेगा।

18. इस परिप्रेक्ष्य में इस बजट में युवा शक्ति के संर्वागीण विकास के लिए न केवल शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रावधान किये गये है, अपितु उनके शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य संवर्धन का भी समुचित ध्यान रखा गया है। नवाचार को प्रोत्साहित किया गया है, और क्षमता विस्तार पर ध्यान दिया गया है।

19. **अध्यक्ष जी,** हमारे प्रदेश में छात्रों में **राष्ट्रीय छात्र दल** अर्थात एन.सी.सी. से जुड़ने के लिए अपार जोश है। **प्रदेश में लगभग 39 हजार एन.सी.सी. कैडेट्स हैं।** पहले इनको **मात्र 15 रूपये प्रति कैडेट प्रति परेड** की दर से जलपान भत्ता दिया जाता था। **हमारी सरकार ने इस भत्ते को बढ़ाकर 45 रूपये प्रति कैडेट प्रति परेड किया है।** इस हेतु समुचित प्रावधान इस बजट में किये गये हैं। इसके अतिरिक्त नई मांग के माध्यम से **''एन.सी.सी. कार्यालय हेतु भवन निर्माण''** के लिए **रू. एक करोड़ (रू. 1.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है। **अध्यक्ष जी,** राष्ट्रीय छात्र दल भारतीय सैनिक दलों में सेवा के अवसर की राह प्रशस्त करता है।

20. हम मेधावी छात्रों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु संसाधन की कमी नहीं होने देंगे। इस बजट में हम अनेक नई योजनाएं लेकर आये हैं। प्रसंगवश, मैं यहां पर कुछ योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ :–

- **मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना** के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु रू. ग्यारह करोड़ (रू. 11.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- माध्यमिक शिक्षा में **उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय** हेतु रू. इक्यावन करोड़ (रू. 51.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अन्तर्गत **पी.एम. श्री योजना** हेतु लगभग रू. बानबे करोड़ अठ्हत्तर लाख (रू. 92.78 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- उच्च शिक्षा हेतु **शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृत्ति** हेतु रू. दस करोड़ (रू. 10.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत **अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना** हेतु रू. दो करोड़ (रू. 2.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- **उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा** हेतु रू. सात करोड़ ग्यारह लाख (रू. 7.11 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

21. **अध्यक्ष जी,** विभिन्न विद्यमान योजनाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु समुचित बजट प्रावधान किया है, जैसे :–

- राज्य योग्यता छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. पांच करोड़ (रू. 5.00 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है।
- बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल) योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. पन्द्रह करोड़ (रू. 15.00 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है।
- अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. पच्चीस करोड़ बासठ लाख (रू. 25.62 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है।
- अनुसूचित जाति पूर्व दशम् कक्षा 9 से 10 की छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. ग्यारह करोड़ उनहत्तर लाख (रू. 11.69 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है।
- अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. आठ करोड़ (रू. 8.00 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है।

- **पिछड़ी** जातियों के पूर्व दशम् कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. तीन करोड़ नब्बे लाख (रू. 3.90 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है।
- अन्य पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों के छात्रवृत्ति सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. ग्यारह करोड़ नौ लाख (रू. 11.09 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है।
- एन.सी.सी. कैडट्स हेतु मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. पचास हजार (रू. 50.00 हजार)** का बजट प्रावधान किया गया है।
- अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक एवं मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. इक्कीस लाख छिहत्तर हजार (रू. 21.76 लाख)** का बजट प्रावधान किया गया है।
- अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. उनचास लाख नब्बे हजार (रू. 49.90 लाख)** का बजट प्रावधान किया गया है।
- अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. छः करोड़ दस लाख (रू. 6.10 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है।

22. देश की सर्वोच्च सेवाओं में **युवा शक्ति को अवसर प्रदान करने के लिए** हमारी सरकार संघ लोक सेवा आयोग, एन.डी.ए, सी.डी.एस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

अध्यक्ष जी,

23. विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में **उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र, उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद आदि** संस्थाएं उल्लेखनीय हैं। इस बजट में इन संस्थाओं हेतु समुचित प्रावधान किये जा रहे हैं।

24. युवा शिक्षण व प्रशिक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें निरन्तर युवा शक्ति को केन्द्र में रखकर प्रदेश का विकास करने की प्रेरणा देती है। युवा रोजगार चाहता है। इस हेतु हमने विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, उद्योग, मध्यम व लघु उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, ग्राम्य विकास आदि में विविध बजटीय प्रावधान किये है तथा समग्र रूप से **एक उम्मीदों से परिपूर्ण परिवेश** बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो युवा शक्ति को निरन्तर प्रेरित करेगा।

25. प्रसंगवश, मैं यहां पर कुछ योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ :–

- उत्तराखण्ड वर्क फोर्स डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में समग्र रूप से **रू. एक सौ करोड़ (रू. 100.00 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. चौदह करोड़ (रू. 14.00 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. चालीस करोड़ (रू. 40.00 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

26. **शिक्षा हमारा धर्म है।** समुचित शिक्षण और प्रशिक्षण ही वह केन्द्रीय बिन्दु है जो हमारे युवा को अवसर की उपलब्धता करायेगा, प्रेरित रखेगा और **स्वावलम्बन** का स्वस्थ परिवेश निर्मित होगा।

27. शिशु अवस्था में पोषण से लेकर कोचिंग और प्रशिक्षण तक के प्रावधान इस बजट में हैं। हमारी सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के रूप में विकसित करने की कार्यवाही गतिमान है। इसके अन्तर्गत स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण के साथ–साथ खेल सुविधाओं आदि का प्रावधान किये जाने की योजना है। **इस बजट में नई मांग ''उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय'' हेतु रू. इक्यावन करोड़ (रू. 51.00 करोड़) का प्रावधान किये जा रहे हैं।**

28. समग्र शिक्षा योजना अन्तर्गत **रू. आठ सौ तेरह करोड़ तिरासी लाख (रू. 813.83 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

29. अपवंचित वर्ग के बच्चों को प्रदेश के निजी विद्यालयों में अध्ययन हेतु शिक्षा का अधिकार के तहत समग्र रूप से **रू. एक सौ उनहत्तर करोड़ चार लाख (रू. 169.04 करोड़)** प्रावधान किया गया है, इससे लगभग 1 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

30. प्रदेश के राजकीय प्राइमरी विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से फर्नीचर उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान वर्ष में प्रावधान किया गया है। इस क्रम में आगामी वर्ष हेतु **रू. छः करोड़ (रू. 6.00 करोड़)** बजट प्रावधान किया गया है।

31. शिक्षा विभाग के तत्वावधान में प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों के कक्षा 9वी से 12वी के सामान्य एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु **रू. पच्चीस करोड़ (रू. 25.00 करोड़)**, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु **रू. दस करोड़ (रू. 10.00 करोड़)** तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु लगभग **रू. एक करोड़ चौबीस लाख (रू. 1.24 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

32. माध्यमिक विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण हेतु नाबार्ड से पूंजीगत मद में **रू. पैंतालीस करोड़ (रू. 45.00 करोड़)** बजट प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

33. हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने का निश्चय किया है इस हेतु एक ओर अवसंरचना के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर आधुनिकीकरण, डिजीटाइजेशन के साथ–साथ मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाने हेतु मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु बजट में प्रावधान किया गया है।

34. भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक पोर्टलों पर विभागीय सूचनाएं अद्यतन किए जाने एवं अन्य विभागीय पोर्टलों पर सूचनाओं का डिजीटाईजेशन, अपडेशन, एम.आई.एस. आदि ऑनलाइन कार्य किए जाने हेतु वर्तमान में उच्च शिक्षा निदेशालय के

अन्तर्गत संचालित ''**एडुसैट**'' कार्यालय को ''**आई.सी.टी. सैल**'' में उच्चीकृत किया जा रहा है।

35. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को ''**नैक प्रत्यायित**'' **(NAAC एक्रेडिशन)** करने के लिए हम प्रयासरत हैं।

36. समस्त राजकीय महाविद्यालयों में **4जी/5जी इन्टरनेट कनेक्टिविटी** उपलब्ध कराने का लक्ष्य है तथा अशासकीय महाविद्यालयों हेतु भी **एम.आई.एस. पोर्टल** का विस्तार किया जायेगा।

37. शासकीय महाविद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाये जाने हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की व्यवस्था करने की प्रक्रिया गतिमान है।

अध्यक्ष जी,

38. रोजगार व तकनीकी शिक्षा का सीधा सम्बन्ध है। अतः तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ किये जाने के लिए हमने कमर कस ली है। इसी क्रम में तकनीकी शिक्षा हेतु हमने कुछ प्राथमिकताएं चिन्हित की हैं। मैं ऐसी ही कुछ प्राथमिकताओं का उल्लेख यहां कर रहा हूँ :–

- प्रदेश में संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है,
- एक ही छत के नीचे प्रदेश के युवाओं को डिप्लोमा के साथ–साथ इंजीनियरिंग स्नातक एवं मास्टर डिग्री के अवसर प्रदान करने हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक नरेन्द्रनगर में इंटीग्रेटेड टैक्निकल इंस्टीट्यूट का संचालन प्रारम्भ करने की कार्यवाही गतिमान है, एवं
- उद्योगों की मांग के अनुसार आगामी वर्ष में नई प्रौद्योगिकीयों यथा ऑटोमेशन एवं रोबोटिक्स, कन्सट्रक्सन ऑटोमेशन, क्लाउड कंम्प्यूटिंग एवं बिग डेटा, गेमिंग एवं एनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स एवं मशीन लर्निंग आदि मे नये पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रयासरत हैं।

39. प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु रैंकिग फ्रेमवर्क तैयार करने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अंतर्गत प्रदेश के पॉलिटेक्निकों का विभिन्न मानको के अंतर्गत रैकिंग का निर्धारण किया जायेगा। पॉलीटेक्निक संस्थाओं की रैकिंग होने से अच्छी रैकिंग वाली संस्थाओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा **वहां अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।**

40. अधिक से अधिक छात्र व छात्राओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी शिक्षा, निदेशालय के अधीन राज्य स्तरीय ट्रेनिंग प्लेसमेंट केन्द्र का निर्माण कार्य अपर आमवाला, देहरादून में किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी,

41. हम युवाओं के सर्वांगीर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा ''**खेल महाकुम्भ**'' आयोजित कराने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में रू. पन्द्रह करोड़ (रू. 15.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा ''**मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना**'' हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में रू. पांच करोड़ (रू. 5.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

कर्मवीर के लिए है आसान,
छू लेना अपनी मंजिल,
ऐसे कर्मवीरों को हम नित आगे बढ़ायेंगे,
उनकी ही शक्ति के दम पर,
अपनी मंजिल पायेंगे,
सशक्त उत्तराखण्ड बनायेंगे।

42. समावेशी विकास की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए हमारी सरकार **महिला कल्याण, बाल कल्याण, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, युवा कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण व श्रम कल्याण** आदि क्षेत्रों में आवश्यक प्रावधान कर रही है।

43. **अध्यक्ष जी,** महिला समाज और देश की तरक्की का आधार है। वह सशक्त होकर निर्णय ले सके, यह हमारा प्रयास है। हमारा मानना है कि **लैंगिक असमानता से मुक्ति** आवश्यक है। इसीलिए हमारी सरकार द्वारा उचित बजट प्रावधान के माध्यम से महिला एवं शिशु कल्याण का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। केन्द्र सरकार की प्रेरणा से

महिला सशक्तिकरण के पुनीत कार्य में हम भी यथाशक्ति हाथ बढ़ाना चाहतें है। हमने सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत् महिला आरक्षण को सुनिश्चित किया है तथा **पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण** का ध्यान रखते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में गम्भीरता से प्रयास किये हैं।

44. **सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0** के अन्तर्गत संचालित आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम में प्रदेश की **33 हजार 415 आंगनबाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री तथा आंगनबाड़ी सहायिका बहनें** मातृ एवं शिशु कल्याण के पुनीत कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका का कार्य निर्वहन कर रही हैं। हमारी सरकार उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करती है। माह नवम्बर, 2021 से राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले **आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों** बहनों के मानदेय में अतिरिक्त **रू0 1800 एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं** बहनों के मानदेय में अतिरिक्त **रू0 1500 की प्रतिमाह वृद्धि की गयी है।**

45. इस वृद्धि के उपरान्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री बहनों को केन्द्र सरकार की ओर से दिये जा रहे **रू. 4 हजार 500** के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से **रू. 4 हजार 800** की धनराशि दी जा रही है। **इस प्रकार कुल रू. 9 हजार 300 का मानदेय प्रति आंगनबाड़ी कार्यकत्री बहनों को दिया जा रहा है।** मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री बहनों को केन्द्र सरकार की ओर से दिये जा रहे **रू. 3 हजार 500** के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से **रू. 2 हजार 750** की धनराशि दी जा रही है। **इस प्रकार कुल रू. 6 हजार 250 का मानदेय प्रति मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री बहनों को दिया जा रहा है**। आंगनबाड़ी सहायिका बहनों को केन्द्र सरकार की ओर से दिये जा रहे **रू. 2 हजार 250** के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से **रू0 3 हजार की धनराशि** दी जा रही है। **इस प्रकार कुल रू. 5 हजार 250 का मानदेय प्रति आंगनबाड़ी सहायिका बहनों को दिया जा रहा है।**

46. **सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0 योजना** के अन्तर्गत **अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम** संचालित किया जाता है। योजना के अन्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष के **कुल लगभग 8 लाख 47 हजार लाभार्थियों** को अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना हेतु समग्र रूप से

रू. दो सौ अठ्ठासी करोड़ चौबीस लाख (रू. 288.24 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

47. महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर में और अधिक सुधार करने तथा पोषण सम्बन्धी जागरूकता जन–जन तक पहुंचाने हेतु **राष्ट्रीय पोषण मिशन** हेतु **रू. बयालीस करोड़ तैंतालीस लाख (रू. 42.43 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

48. **महिला को सशक्त करने के लिए मिशन शक्ति योजना के** अन्तर्गत दो घटक **''सम्बल''** एवं ''**सामर्थ्य**'' केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण सहयोग से संचालित की जा रही है। इन उप योजनाओं के अन्तर्गत **राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181, वन स्टॉप सेन्टर, नारी अदालत, बेटी बचाओ बेटी पढाओं योजना**, **प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, सखी निवास, पालना योजना आदि** का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

49. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में** प्रसव काल में महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की देखभाल हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना हेतु **रू. चार करोड़ तैंतालीस लाख (रू. 4.43 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

50. **मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना अन्तर्गत** बच्चों के स्वास्थ्यवर्धन हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में चार दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु योजना हेतु **रू. दस करोड़ (रू. 10.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

51. **मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना** का मुख्य लक्ष्य राज्य में कुपोषण के दर को कम करना है। इस योजना के अन्तर्गत 03 से 06 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में दो दिन केला चिप्स, दो दिन अण्डा आंगनबाड़ी केन्द्र पर ही उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु योजना हेतु लगभग **रू. छब्बीस करोड़ बहत्तर लाख (रू. 26.72 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

52. **नंदा गौरा योजना** के अन्तर्गत पात्र परिवार की प्रथम 2 बालिकाओं को जन्म के समय रू. 11,000 एवं कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर रू. 51,000 की धनराशि उपलब्ध कराये

जाने का प्रावधान है। **अध्यक्ष जी,** वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2017–18 से 2021–22 तक छूटे हुये 82,601 लाभार्थियों को **कुल 334 करोड़ 96 लाख 22 हजार की धनराशि** का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना हेतु **रू. दो सौ बयासी करोड़ पचास लाख (रू. 282.50 करोड़)** की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

53. **मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में** प्रसव उपरान्त माता एवं कन्या शिशु को देखभाल एवं पोषण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवश्यक सामग्री युक्त किट उपलब्ध करवायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना हेतु **रू. उन्नीस करोड़ पंचानबे लाख (रू. 19.95 करोड़)** की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

54. **मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनान्तर्गत** आंगनबाडी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती/धात्री महिलाओं को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन खजूर उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना हेतु **रू. बीस करोड़ (रू. 20.00 करोड़)** की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

55. **हमारी मातृशक्ति व किशोरियां अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। उनके महान कार्यों को जन–जन तक पहुंचाने के लिए तथा अन्य महिलाओं को अभिप्रेरित करने के लिए, उत्तराखण्ड की वीरांगना तीलू रौतेली के नाम पर पुरस्कार** हेतु समुचित प्रावधान किया जा रहा है। इस वर्ष चयनित 12 महिलाओं को 31,000 की नगद धनराशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में उत्कृष्ठ कार्य करने वाली 35 आंगनबाडी कार्यकत्रियों को 21,000 की धनराशि व प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना हेतु **रू. छब्बीस लाख पचास हजार (रू. 26.50 लाख)** का प्रावधान किया गया है।

56. हमारी सरकार पोषण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्रम में आगे बढ़ते हुए कार्यरत महिलाओं के कल्याण के लिए भी प्रयासरत है। कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सस्ता एवं सुविधायुक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद हरिद्वार एवं देहरादून में **कामकाजी महिला छात्रावास** का संचालन पी.पी.पी. मोड पर किया जा रहा है तथा

जनपद उत्तरकाशी में किराये पर संचालित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना हेतु समुचित प्रावधान किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी,

57. संकेत स्पष्ट हैं, **महिला व बाल कल्याण सहित समग्र कल्याण** हमारी सरकार की प्राथमिकता है। समावेशी विकास की हमारी यह प्रतिबद्धता वृद्धावस्था पेंशन में किये गये नये प्रावधान में भी परिलक्षित होती है। अब ऐसे वृद्धजन जिनके पुत्र एवं पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं, लेकिन गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहे हैं अथवा जिनकी मासिक आय रू. 4000 से कम हो, उनको भी पेंशन की धनराशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

58. वित्तीय वर्ष 2023–24 में वर्तमान में पेंशन पा रहे एवं नवीन पात्र सभी वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं आदि को पेंशन दिये जाने हेतु समग्र रूप से कुल **रू. एक हजार छः सौ छियासी करोड़ सात लाख (रू. 1686.07 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है। इससे **लगभग 5 लाख 70 हजार वृद्धजनों**, **2 लाख 15 हजार निराश्रित विधवाओं**, **97 हजार दिव्यांगों**, **29 हजार किसानों** एवं **6 हजार 500 परित्यक्त निराश्रित महिलाओं** को पेंशन देकर लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

अध्यक्ष जी,

59. समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जाति, पिछडी जाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान किये जाने में माह जनवरी, 2023 तक **कुल रू. 22 करोड़ 25 लाख 51 हजार** की धनराशि व्यय की गयी है। **55 हजार 503 छात्र व छात्राओं** को छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान कर लाभान्वित किया गया है।

60. वित्तीय वर्ष 2023–24 में **''अनुसूचित जाति के प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु** योजना में रू. सत्ताईस करोड़ (रू. 27.00 करोड़) तथा **''निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेुत अनुदान'' योजना हेतु रू. नौ करोड़ (रू. 9.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

61. वित्तीय वर्ष 2022–23 में निराश्रित वृद्धजनों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु **उत्तरकाशी में राजकीय वृद्ध अशक्त आवास गृह** का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसे संचालित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है एवं जनपद देहरादून में निर्माणाधीन राजकीय वृद्ध अशक्त आवास गृह को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही गतिमान है। ''**राजकीय वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण**'' पूंजीगत मद में वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में **रू. बीस करोड़ (रू. 20.00 करोड़)** का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

62. **अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास** योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. तीस करोड़ (रू. 30.00 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है जिससे अवस्थापना से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराये जायेंगे।

अध्यक्ष जी,

63. **सरलीकरण समाधान और निस्तारण** हमारी सरकार की कार्य संस्कृति है। सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सजग और सतर्क है। जनहित के दृष्टिगत योजनाओं को सरलीकृत करते हुए आवश्यक संशोधन किये गये हैं। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जनजातियों के लिए अटल आवास योजनान्तर्गत आवेदक की वार्षिक आय सीमा **रू. 32 हजार से वृद्धि कर रू. 48 हजार की गई है एवं आवास की लागत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु रू. 38 हजार 500 से वृद्धि कर रू. 1 लाख 30 हजार तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु रू. 35 हजार से वृद्धि कर रू. 1 लाख 20 हजार की गई है।**

64. इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों की शादी हेतु सहायता योजनान्तर्गत आवेदक की मासिक आय सीमा **रू. 1 हजार 250 से वृद्धि कर रू. 4 हजार की गई है।** वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु **रू. छः करोड़ (रू. 6.00 करोड़)** का प्राविधान किया गया है।

65. केन्द्र सरकार द्वारा संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए **प्रधानमंत्री विशिष्टतः कमजोर जनजातीय समूह (PM-PVTG)** विकास योजना प्रारम्भ की गई है, जिससे राज्य में निवासरत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय यथा बोक्सा व राजी समुदायों का विकास होगा। इस सम्बन्ध में नवीन प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है।

66. केन्द्र सरकार के सहयोग से **16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों** में स्मार्ट कक्षाऐं संचालित की गई हैं जिससे वहां पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं को अपने विषय के अतिरिक्त विश्व के घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त होगी तथा कैरियर के विभिन्न आयामों का चयन करने में भी सहायता प्राप्त होगी।

67. केन्द्र सरकार के सहयोग से **16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों**, **03 राजकीय जनजाति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों** एवं **04 राजकीय जनजाति छात्रावासों** में **''एनलैटिक्स पॉवर्ड वचुअल क्लॉसरूम प्रोजेक्ट''** के माध्यम से ई–लर्निंग क्लॉसरूम स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। इस परियोजना के अन्तर्गत विभागीय संस्थाओं में शैक्षणिक कार्यक्रम, कैरियर काउन्सलिंग, कौशल विकास कार्यक्रम, अध्यापकों एवं कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने के साथ–साथ अन्य जन उपयोगी योजनाओं का प्रचार–प्रसार आदि सम्मिलित है। इसका नियंत्रण जनपद देहरादून में स्थापित स्टूडियो से किये जाने की योजना है एवं इस योजना से राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत जनजाति वर्ग व संस्थाओं को लाभ मिल सकेगा।

68. केन्द्र सरकार द्वारा **विकासखण्ड चकराता** के ग्राम **मेहरावना** में **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय** के संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। शिक्षा सत्र 2023–24 से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मेहरावना, देहरादून का संचालन किया जायेगा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मेहरावना, देहरादून के संचालन से लगभग 400 अनुसूचित जनजाति के छात्र व छात्राओं को लाभ प्राप्त होगा। विद्यालय हेतु भवन निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है।

69. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के लिए समग्र रूप से विविध छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु **रू. नौ करोड़ चालीस लाख (रू. 9.40 करोड़)** का प्राविधान किया गया है।

70. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजस्व व पूंजीगत मदों में विविध योजनान्तर्गत लगभग **रू. इकतालीस करोड़ इकहत्तर लाख (रू. 41.71 करोड़)** का प्राविधान किया गया है।

71. जनजाति कल्याण निदेशालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु लगभग **रू. छः करोड़ चौवन लाख (रू. 6.54 करोड़)** का प्रावधान किया गया हैं।

अध्यक्ष जी,

72. जनजाति कल्याण की हमारी प्रतिबद्धता के दृष्टिगत अनेक नई मांग हेतु भी इस बजट में प्रावधान किये गये हैं। मैं इस अवसर पर नई मांगों का विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूँ :–

- **''विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का विकास**'' हेतु रू. दो करोड़ पचास लाख (रू. 2.50 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा
- **''जनजाति शोध संस्थान**'' हेतु रू. एक करोड़ (रू. 1.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

73. ''**सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास''** के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार विभिन्न केन्द्र पोषित व राज्य योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्गों की समस्याओं के निराकरण करने एवं उनका सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास करते हुये योजनायें संचालित कर रही है।

74. अल्पसंख्यक विभाग द्वारा केन्द्र पोषित **पूर्वदशम्, दशमोत्तर एवं मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं** सहित राज्य पोषित पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना का संचालन पूर्ण रूप से ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है तथा सभी छात्रवृत्ति योजनाओं की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से छात्रों के खातें में सीधे उपलब्ध करायी जा रही है।

75. मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़े जाने के लिए **''मदरसा आधुनिकीकरण योजना''** संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत मदरसों में वाटर प्यूरिफायर, फर्नीचर, कम्प्यूटर, जनरेटर, पंखे आदि उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. दो करोड़ (रू. 2.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

76. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा **''प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना''** संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत **शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खेलकूद, ऊर्जा** आदि क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी,

77. प्रदेश का यह सौभाग्य है कि पूर्व सैनिकों के रूप में हमारे पास आपार प्रशिक्षित एवं अनुशासित मानवपूंजी उपलब्ध है। राज्य के विकास के लिये पूर्व सैनिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों का कल्याण करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार प्रयास कर रही है। प्रंसगवश कुछ प्रमुख योजनाओं में बजटीय प्रावधान का उल्लेख किया जा रहा है :–

- शौर्य स्थल हेतु रू. बीस करोड़ (रू. 20.00 करोड़),
- सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण हेतु रू. दो करोड़ (रू. 2.00 करोड़),
- खटीमा में सी.एस.डी. की स्थापना हेतु रू. एक करोड़ (रू. 1.00 करोड़),
- शहीद द्वार/स्मारकों का निर्माण हेतु रू. एक करोड़ (रू. 1.00 करोड़),
- उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रित विधवाओं के पेन्शन हेतु लगभग रू. सात करोड़ अड़तीस लाख (रू. 7.38 करोड़),
- वार–टू–सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त राज्य के सैनिकों को एक मुश्त अनुदान/एन्युटी हेतु रू. पांच करोड़ पचास लाख (रू. 5.50 करोड़),
- उत्तराखण्ड शहीद कोष हेतु रू. एक करोड़ पचास लाख (रू. 1.50 करोड़),
- सैनिक विश्राम गृहों की साज–सज्जा हेतु रू. पचास लाख (रू. 50.00 लाख), एवं
- वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों एवं उनकी वीरंगनाओं हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु नई मांग के रूप में रू. दस लाख (रू. 10.00 लाख) का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

78. यह एक वास्तविकता है कि सर्वाधिक रोजगार असंगठित क्षेत्र में है। माननीय प्रधानमंत्री जी, की प्रेरणा से प्रथम बार वृहद रूप से असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की प्रभावी योजना बनाई गयी है। असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डाटा

बेस बनाने के लिए **ई–श्रम पोर्टल** प्रारम्भ किया गया है तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के पंजीयन के लिए राज्य सरकारों को दिशा–निर्देश दिये गये है। योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त पेंशन देने का प्रावधान है। यह अवगत कराते हुए हर्ष होता है की प्रदेश में 29 लाख 72 हजार 971 असंगठित कर्मकारों का पंजीकरण इस पोर्टल पर किया गया है। यह स्थिति अनायास ही प्राप्त नहीं हुई अपितु इसके लिए श्रम विभाग के तत्वावधान में मोबिलाइजेशन कैम्प आयोजित किये गए। इस प्रकार प्रदेश की एक बड़ी आबादी को सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी,

79. राज्य की विकासोन्मुख नीतियों के अन्तर्गत **"सबके लिये स्वास्थ्य"** (Health for All) की परिकल्पना के अनुसार उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुॅच आम–जनमानस तक सुलभ कराना राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार द्वारा दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुॅच को सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर कार्य किये गये हैं। **हमारी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए देहरादून से उत्तरकाशी तक ड्रोन से दवाएं पहुंचाने का प्रयोग किया गया। सड़क मार्ग से लगभग 5 घंटे लगने वाले समय के सापेक्ष ड्रोन ने लगभग 40 मिनट में दवाईं पहुँचाई है। यह पायलट प्रोजेक्ट भविष्य में दुर्गम क्षेत्रों में ससमय आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए एक नई उम्मीद है।**

80. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए अस्पतालों को **इण्डियन पब्लिक हैल्थ स्टेन्डर्ड** मानकों के अनुसार विकसित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने से दुर्गम एवं अति दुर्गम स्थानों में चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टॉफ, चिकित्सा उपकरण तथा औषधियों की आपूर्ति में समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलेगी।

81. राज्य के असेवित क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवाएं देने के लिए सरकार द्वारा सकारात्मक पहल की गयी है। राज्य के चिन्हित जनपदों के चिकित्सालयों में **क्लस्टर एप्रोच** के तहत विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार सेवाओं की शुरूआत की गयी है। वाह्य सहायतित परियोजना उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंन्ट परियोजना के माध्यम से जिला चिकित्सालय टिहरी–गढ़वाल, पौड़ी, संयुक्त चिकित्सालय रामनगर का संचालन निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं को दिया गया है। प्रत्येक क्लस्टर में दो–दो सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्रों को भी लिया गया है और तीन सचल चिकित्सा वाहन के द्वारा समीपवर्ती अन्य चिकित्सा इकाइयों से मरीजों को विशेषज्ञ उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पर लाने की व्यवस्था बनायी गयी है। 09 मोबाइल हैल्थ वैन पी.पी.पी. मोड में क्लस्टर आधार पर संचालित की जा रही है, जिसके क्रम में **दूरस्थ क्षेत्रों में सिजेरियन ऑपरेशन तथा सी.टी. स्कैन जैसी नैदानिक (डायग्नोस्टिक) सुविधायें** उपलब्ध करायी जा रही हैं।

82. **अध्यक्ष जी,** उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य हैं, जहाँ प्रत्येक परिवार को कैसलेश अथवा निःशुल्क उपचार सेवाओं का लाभ की अनुमन्यता है। राज्य के समस्त परिवारों को उपचार के दौरान अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष, प्रति परिवार रू. 5 लाख तक का निःशुल्क एवं कैशलेश उपचार के लिए अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना संचालित हो रही हैं। **अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना** में रू. चार सौ करोड़ (रू. 400.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

83. राज्य में संचारी रोगों के रोकथाम हेतु सघन प्रयास गतिमान हैं तथा राज्य क्षय–रोग उन्मूलन के लक्ष्य हेतु प्रयासरत है, इसी क्रम में **निःक्षय मित्र योजना** में उत्तराखण्ड राज्य को **राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान** प्राप्त हुआ है।

84. स्वास्थ्य विभाग द्वारा **टेलीमेडिसिन पद्धति के अन्तर्गत ई–संजीवनी ओ.पी.डी.** का संचालन **हब एवं स्पोक मॉडल** के आधार पर किया जा रहा है। इस क्रम में 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (स्पोक) को 04 मेडिकल कालेज (हब) से जोड़ा गया है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

85. भारत सरकार की कार्ययोजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकन्द्रों को हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में उच्चीकरण किया जा रहा है।

86. **अध्यक्ष जी,** सुदृढ़ चिकित्सा व्यवस्था के लिए **चिकित्सा शिक्षा** की व्यवस्था का मजबूत होना भी आवश्यक है। हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में आगामी 03 वर्षों हेतु कुछ थ्रस्ट एरिया चिन्हित किये हैं :–

- हल्द्वानी में राज्य कैंसर संस्थान का संचालन शुरू करना,
- दून मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त 570 बेड के वार्ड का संचालन शुरू करना,

- दो नये नर्सिंग कॉलेज बाजपुर व कोटगी (गुप्तकाशी) का संचालन शुरू किया जाना एवं
- राज्य के नर्सिंग कॉलेज में पी.जी. नर्सिंग की 50 से अधिक सीटों में शिक्षण शुरू किया जाना।

87. राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के नेत्र रोग विभाग के अंतर्गत **'आई बैंक एवं कॉर्निया प्रत्यारोपण केन्द्र'** की स्थापना की गयी है। इस केन्द्र के द्वारा नेत्र प्रत्यारोपण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

88. केन्द्र सरकार की सहायता से राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरादून एवं हल्द्वानी में ''**स्किल लैब**'' की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर गढ़वाल में स्किल लैब की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में **''लाइफ स्टाइल क्लीनिक''** का क्रियान्वयन किया जा चुका है।

89. राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून एवं श्रीनगर गढ़वाल में कैथ लैब की स्थापना की जा रही है। कार्डियोलॉजी विभाग हेतु **कलर डॉपलर इको मशीन** की स्थापना की जा चुकी है।

90. सरकार द्वारा जनमानस की स्वास्थ्य एवं उपचार की स्थितियों को सुदृढ़ बनाने तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाओं के विस्तार हेतु आगामी वर्ष में अनेक योजनाओं में समुचित प्रावधान किये गये हैं। प्रंसगवश कुछ योजनाओं का यहां उल्लेख हो रहा है :–

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना हेतु **रू. सात सौ सतहत्तर करोड़ नौ लाख (रू. 777.09 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।**
- केन्द्र पोषित योजना अन्तर्गत नवीन मेडिकल कॉलेजों रूद्रपुर, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ हेतु **रू. दो सौ पचासी करोड़ (रू. 285.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।**
- दून मेडिकल कॉलेज हेतु समग्र रूप से **रू. एक सौ छियानबे करोड़ तेईस लाख (रू. 196.23 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।**

- राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालय की स्थापना हेतु समग्र रूप से **रू. एक सौ इक्यावन करोड़ इकतालीस लाख (रू. 151.41 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।**
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इन्फास्ट्रक्चर मिशन योजनान्तर्गत लगभग **रू. बयासी करोड़ इक्कीस लाख (रू. 82.21 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।**
- श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हेतु समग्र रूप से लगभग **रू. बयासी करोड़ अठ्ठासी लाख (रू. 82.88 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।**
- मानसिक चिकित्सालयों का निर्माण हेतु **रू. दस करोड़ (रू. 10.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।**

अध्यक्ष जी,

91. आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति ही नहीं अपितु जीवन शैली है। यह मात्र बिमारियों का इलाज नहीं करती अपितु आयुर्वेद को अपनाकर हम अपने शरीर को बीमार होने से रोक सकते हैं। उत्तराखण्ड राज्य में जड़ी–बूटियों का भण्डार होने के कारण यहां आयुर्वेद का और अधिक महत्व है। आयुर्वेद से होने वाले लाभ को आमजन तक पहुंचाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी सरकार **300 आयुष हैल्थ व वेलनेस केन्द्रों** का संचालन व **150 पंचकर्म केन्द्रों** की स्थापना के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। **आयुर्वेद, होम्योपैथी व नेचुरोपैथी के विकास द्वारा रोजगार व आर्थिकी के विस्तार के अवसर हमारे पास हैं।**

अध्यक्ष जी,

92. हम विकास यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। आर्थिकी के महत्वपूर्ण घटक **कृषि, उद्योग व तृतीयक क्षेत्र** की ओर हमारी सरकार की प्राथमिकता व प्रयासों से आपको अवगत करा रहा हूँ। **केन्द्रीय बजट 2017 के अवसर तत्कालीन वित्त मंत्री स्व0 श्री अरूण जेटली जी द्वारा उदधृत शब्द का उल्लेख करना चाहूंगा :–**

''इस मोड़ पर घबराकर न थम जाइए आप,
जो बात नई उसे अपनाइए आप,
डरते हैं नई राह पर क्यूं चलने से,
हम आगे–आगे चलते हैं, आइए आप''।

93. **विकास यात्रा का प्राथमिक बिन्दु कृषि है।** कृषि और सहायक गतिविधियों में प्रगति का सीधा सम्बन्ध उद्योग एवं परिवहन से होता है। आगामी 03 वर्षों में हमारी सरकार कृषि और सहायक गतिविधियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण लक्ष्यों को चिन्हित किया है :–

- प्रदेश के कृषकों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ने के लिए हम प्रयत्नशील हैं,
- सब्जियों व फूलों की क्लस्टर आधारित खेती हेतु राज्य में 50,000 पॉलीहाउस स्थापित करेंगे,
- महिलाओं पर कृषि क्षेत्र में श्रम का बोझ कम करने के लिए कृषि यंत्रीकरण के अन्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक व कस्टम हायरिंग सेन्टर बनायेंगे,
- राज्य के समस्त गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा शत–प्रतिशत् लिंग वर्गीकृत वीर्य के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे,
- नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन योजनान्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों के गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को **यू.आई.डी. ईयर टैग** द्वारा शत–प्रतिशत् चिन्हित कर इनाफ पोर्टल में पंजीकरण करते हुए समस्त सेवाओं का डिजिटल रिकॉर्डकीपिंग की व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे,
- सभी पात्र ट्राउट फार्मर को बीमा से आच्छादित करेंगे,
- प्रदेश के सभी चॉकी केन्द्रों में यांत्रिक इन्क्यूबेशन चैम्बरों की स्थापना करेंगे,
- **"एक देश, एक बाजार"** की अवधारणा पर उत्तराखण्ड की अवशेष मण्डियों को ई–राष्ट्रीय बाजार (e-Nam) परियोजना से जोड़ने एवं मण्डियों का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रयास करेंगे, एवं
- दुग्ध सहकारी समितियों में उन्नत **डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट** की स्थापना करेंगे एवं दुग्ध सहकारी समिति में पशु चारे की उपलब्धता करेंगे।

94. किसान भाई–बहनों को **उम्मीद से परिपूर्ण इकोसिस्टम** देने के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2025 तक के लिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये हैं। इस हेतु विद्यमान योजनाओं के साथ–साथ कुछ नई योजनाओं हेतु इस बजट में यथोचित प्रावधान किये गये हैं।

95. यह हर्ष का विषय है कि केन्द्रीय बजट में किसानों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रावधान हुए हैं। हमारे राज्य में अधिकांश किसान मोटा अनाज पैदा करते हैं। मोटे अनाज के प्रोत्साहन हेतु केन्द्रीय बजट में **''श्री अन्न''** का उल्लेख है। **हम इसे अपने अन्नदाता किसान भाई–बहनों के लिए सम्भावनाओं के नये द्वार के रूप में देख रहे है।** निःसंदेह, इस कदम से प्रदेश की पारम्परिक उपज के बाजार को विस्तार मिलेगा और हमारे किसान समृद्ध हो सकेंगे।

96. हमारी सरकार द्वारा **स्टेट मिलेट मिशन** का संचालन किया जा रहा है। हम इस बजट के माध्यम से **श्री अन्न** के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक अनुकूल परिवेश का निर्माण कर रहे हैं तथा विशेष रूप से **स्टेट मिलेट मिशन मद में रू. पन्द्रह करोड़ (रू. 15.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है। साथ ही **स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत रू. बीस करोड़ (रू. 20.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

97. मा० प्रधानमन्त्री जी, की महत्वाकांक्षी योजना **"राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन"** के अन्तर्गत प्रदेश में उगाई जाने वाली परम्परागत फसलों को प्राकृतिक कृषि प्रणाली से उगाकर इनका महत्व, गुणवत्ता एवं व्यापारिक सम्भावनायें और अधिक बढ़ाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी,

98. मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत **कीवी के उत्पादन** को प्रोत्साहन देने हेतु लगभग रु. 16 करोड़ स्वीकृत कर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सेब की अति सघन बागवानी को बढ़ावा देने हेतु ''**मिशन एप्पल योजना**'' से बगीचे स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य में आलू, अदरक एवं मटर बीज की उपलब्धता व उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु सतत् प्रयास जारी है। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि हमारी सरकार ने **मिशन एप्पल योजना** हेतु **रू. पैंतीस करोड़ (रू. 35.00 करोड़)** तथा औद्यानिक विकास हेतु पॉलीहाउस संतृप्तता आदि के लक्ष्य हेतु नाबार्ड सहायतित योजना के अन्तर्गत उद्यान विभाग हेतु रू. दो सौ करोड़ (रू. 200.00 करोड़) का प्रावधान आगामी बजट में किया है।

99. इस बजट में हम औद्यानिक विकास के लिए अनेक नई योजनाएं लेकर आये हैं :–

- **उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौध की योजना** के अन्तर्गत कीवी, ड्रैगन फ्रूट, सेब आदि उच्च गुणवत्तायुक्त फलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की योजना है। नई मांग के माध्यम से इस मद में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु रू. उन्नीस करोड़ (रू. 19.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- **मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना** हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. चौदह करोड़ (रू. 14.00 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है, **एवं**
- **रोपवे/ट्रॉली का निर्माण योजना** के द्वारा औद्यानिक उत्पाद को निकटतम सड़क मार्ग पर ससमय पर सुगमतापूर्वक पहुंचाने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष हेतु रू. दो करोड़ तीस लाख (रू. 2.30 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

100. **सगन्ध पौधा केन्द्र के माध्यम** से वर्तमान में राज्य में **8 हजार 6 सौ हैक्टेयर भूमि पर 24 हजार से** अधिक काश्तकारों द्वारा 109 क्लस्टरों में संगध कृषि की जा रही है। सगंध फसलों के प्रसंस्करण हेतु 194 आसवन संयत्रों की स्थापना की गयी है। राज्य में संगध कृषिकरण के माध्यम से लगभग रू. 85 करोड़ रुपये का टर्नओवर अर्जित किया जा रहा है।

101. आगामी तीन वर्षों में फसल विशेष आधारित **छः एरोमा वैलियां** विकसित करने की कार्ययोजना है :–

हरिद्वार में **लैमनग्रास एवं मिन्ट वैली,**
नैनीताल व चम्पावत में **सिनामन वैली,**
चमोली व अल्मोडा में **डेमस्क गुलाब वैली,**
ऊधम सिंह नगर में **मिन्ट वैली,**
पिथौरागढ में **तिमूर वैली** एवं
पौड़ी में **लैमनग्रास वैली**

102. **अध्यक्ष जी,** उत्तराखण्ड की जलवायु दालचीनी एव तिमरू के उत्पादन हेतु अनुकूल है। इनका उत्पादन बढ़ाने हेतु **मिशन दालचीनी** एवं **मिशन तिमरू** प्रारम्भ किया जा रहा है। जिसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि होगी एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा दालचीनी एवं तिमूर उत्पादन से आयात कम होगा।

अध्यक्ष जी,

103. **संकल्प पत्र** के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022–23 में अन्त्योदय कार्डधारकों को वर्ष में 03 गैस सिलेन्डर रिफिलिंग की फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू. पचपन करोड़ (रू. 55.00 करोड़) की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

104. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की शर्तों के अन्तर्गत वर्तमान में चार मैदानी जनपदों में खाद्यान्न गोदाम से उचित दर विक्रेताओं की दुकानों तक डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधाएं प्रदान की जा रही है तथा शेष जनपदों में डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधाएं लागू किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

अध्यक्ष जी,

105. राज्य में पारम्परिक रूप से हो रहे मत्स्य पालन को अब वर्तमान में नवीन तकनीकियों एवं उच्च वृद्धि दर वाली प्रजातियों के पालन से मात्स्यिकी क्षेत्र को और अधिक व्यवसायिक किया जा रहा है। मत्स्य पालन हेतु पूर्व में मात्र 05 मत्स्य प्रजातियों का पालन हो रहा था, जबकि वर्तमान में 12 से अधिक मत्स्य प्रजातियों का पालन किया जा रहा है। मछलियों के समुचित विपणन हेतु राज्य में कोल्ड चेन डेवलैपमेंट हेतु नाबार्ड के माध्यम से 03 प्रसंस्करण यूनिट एवं 02 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के प्रोजेक्ट तैयार किये गये हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु भारत सरकार से लगभग 48 करोड़ के 17 प्रोजेक्टों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

106. न्यूनतम दरों पर मत्स्य पालन हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1410 मत्स्य पालको को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा अनुमन्य की गयी है। राज्य में उत्पादित मछलियों को प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर विक्रय किया जा रहा है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ मत्स्य पालको को हो रहा है।

अध्यक्ष जी,

107. जल ही जीवन है। प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। पेयजल सुधार हेतु सरकार पंचायतीराज संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रो में जनसहभागिता के आधार पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ–साथ स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र विकास किये जाने हेतु कार्य कर रही है।

108. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छता आच्छादन को बढ़ाना व जीवन की गुणवत्ता को सुधारने हेतु स्वच्छता को बढ़ाना व खुले में शौच को समाप्त किया जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 5,638 परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय से आच्छादित किया गया है। प्रदेश में 4,011 गांवो को ओ.डी.एफ. प्लस किया गया है, 1,191 गांवो में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य कराये गये, 3,468 गांवो में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्य कराये गये, तथा 255 सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलेक्स का निर्माण किया गया।

109. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में समग्र रूप से लगभग रू. एक सौ पांच करोड़ तैंतालिस लाख (रू. 105.43 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

110. निर्माणाधीन वॉटर एण्ड सीवेज परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। मसूरी शहर को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु विशेष सहायतित कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन मसूरी पेयजल पुनर्गठन योजना का कार्य अन्तिम चरण में है।

111. **नमामि गंगे** पहल के तहत पवित्र गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण और स्वच्छता को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य में गंगा नदी के किनारे 15 नगरों में 131 दूषित नालों को टैप किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में कार्यशील 34 एस.टी.पी. के माध्यम से लगभग 140 एम.एल.डी. सीवरेज का ट्रीटमेन्ट किया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 स्नान घाटों एवं 26 मोक्ष घाटों का निर्माण कर उन्हें जनोपयोगी बना दिया गया है। गंगा के कैचमेन्ट क्षेत्रों में गंगा वाटिका,

बायोडायवर्सिटी पार्क एवं नर्सरियों को विकसित करके लगभग 12 हजार 6 सौ हैक्टेयर पौधारोपण एवं जल सरंक्षण का कार्य गंगा जी के पुनर्जीवन के लिये किया गया है।

अध्यक्ष जी,

112. संधारणीयता के साथ–साथ सिचांई की सुविधाओं में वृद्धि के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। हम एक ओर जल संरक्षण को बढ़ावा दे रहे है वही दूसरी ओर भविष्य की जरूरतों के लिए व्यापक अवस्थापना विकास को केन्द्र में रख रहे हैं। हम **जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना** एवं **सौंग बाँध पेयजल परियोजना** के निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं। राज्य में बहनें वाली विभिन्न नदियों एवं जलधाराओं की लगभग 2 हजार कि.मी. लम्बाई में फ्लड प्लेन जोनिंग का कार्य करने को प्राथमिकता दी जा रही है। धारचूला में नेपाल बॉर्डर के समीप प्रवाहित होने वाली काली नदी से डिफेन्स इस्टैब्लिशमेंट की सुरक्षा हेतु संवेदनशील स्थानों पर बाढ़ सुरक्षा का कार्य भी प्राथमिकता में है।

113. देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी, भगवानपुर एवं अल्मोड़ा का मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार करने की कार्यवाही विभिन्न चरणों में गतिमान है।

114. भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के कार्य को प्राथमिकता से सम्पादित करते हुए **जल स्तर मापन सेन्सर** एवं **भू–गर्भीय जल निगरानी सेन्सर** आदि स्थापित करने के लिए कार्यवाही गतिमान है।

115. जनपद हरिद्वार एवं ऊधम सिंह नगर के कृषि भूमि को सिंचित करने के लिये स्थापित किये गये नलकूप जो अपनी आयु को पूर्ण करने के कारण अक्रियाशील हो गये है, में से लगभग 30 प्रतिशत् नलकूपों को चरणबद्ध रूप से क्रियाशील करने के लिए प्रयासरत है।

116. राज्य की छोटी नदियों एवं गाढ़ गधेरों में जल संवर्धन तथा जल संरक्षण एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूजल स्तर में वृद्धि के लिये चैक डैम/स्टॉप डैम के निर्माण हेतु वृहद मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसका क्रियान्वयन आगामी वित्तीय वर्ष से चरणों में प्रारम्भ किया जायेगा।

117. सिंचाई योजनाओं के संचालन हेतु ऐसी लिफ्ट योजनायें, जिन पर कम से कम 100 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है, पर **सोलर पैनल लगाकर** बिजली का उत्पादन **नैट मीटरिंग** से किये जाने हेतु कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ करने का प्रयास है।

118. **प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पी0एम0–कुसुम)** योजना के अन्तर्गत माह जनवरी, 2023 तक व्यक्तिगत किसानों के संचालित 316 डीजल पम्पसेट को सोलर पम्पसेट में परिवर्तित किया गया है। योजना के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में **रू. आठ करोड़ (रू. 8.00 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

119. आर्थिकी के विस्तार के लिए औद्योगिक क्षेत्र को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इस हेतु अनेक विद्यमान योजनाओं में समुचित प्रावधान किये गये है, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण नई मांग का प्रावधान बजट में किया गया है।

120. मैं औद्योगिक क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ :–

- **विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान** हेतु निजी क्षेत्र के औद्यानिक आस्थानों की स्थापना, सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन हेतु नई मांग के माध्यम से रू. छब्बीस करोड़ (रू. 26.00 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति कार्यक्रम** के अन्तर्गत लॉजिस्टिक नीति, 2022 के अनुरूप वित्तीय प्रोत्साहन हेतु नई मांग के माध्यम से रू. पच्चीस करोड़ (रू. 25 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- **प्रमोशन ऑफ, इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना** के अन्तर्गत नई मांग के माध्यम से रू. तीस करोड़ (रू. 30.00 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

121. कुछ विद्यमान योजनाओं हेतु महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान किये गये है। मैं प्रंसगवश उनका उल्लेख कर रहा हूँ :–

- औद्योगिक मेले/राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमिनार व प्रचार हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. तीन करोड़ (रू. 3.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।
- खनन सर्विलांश हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में लगभग **रू. बीस करोड़ सत्तावन लाख (रू. 20.57 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।
- सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (एन.वी.पी. सहित) हेतु **रू. दस करोड़ (रू. 10.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।
- साइन्स सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु **रू. छब्बीस करोड़ एक्कीस लाख (रू. 26.21 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।
- **''राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण/आई.टी.डी.ए. को अनुदान''** राजस्व मद में **रू. चौंतीस करोड़ नब्बे लाख (रू. 34.90 करोड़) तथा** पूंजीगत मद में **रू. सोलह करोड़ इक्कीस लाख (रू. 16.21 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

122. निवेशकों के लिये **एकल खिड़की व्यवस्था** के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी** के 1707 परियोजनाओं में रू. 7 हजार 321 करोड़ के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये, जिसमें लगभग 33 हजार व्यक्तियों के रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। इसी प्रकार वृहद श्रेणी के उद्योगों के 16 परियोजनाओं में रू. 3 हजार 72 करोड़ के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये, जिसमें 3,268 व्यक्तियों के रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।

123. प्रदेश में **लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस इनलैंड कन्टेनर डिपो, ट्रक टर्मिनल, कोल्ड स्टोरेज** तथा **सामान्य लॉजिस्टिक** सुविधाओं के विकास के लिये **उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक नीति, 2022** प्रख्यापित की गयी है। इस नीति में लॉजिस्टिक सुविधाओं के विकास के लिये समुचित वित्तीय प्रोत्साहनों का प्राविधान किया गया है।

124. राज्य में रू. 200 करोड़ से अधिक स्थिर पूंजी निवेश की परियोजनाओं/उद्योगों की स्थापना को बढावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड **उद्यम एकल खिडकी**

सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम की धारा–14 के अंतर्गत अनुकूलित पैकेज स्वीकृत किये जाने के लिये **दिशा–निर्देश 2023** प्रख्यापित किये गये हैं।

125. **अध्यक्ष जी,** केन्द्रीय बजट में राज्यों को उनके स्वयं के **एक जिला एक उत्पाद**, **जी–आई उत्पाद** और **अन्य हस्तशिल्प उत्पादों** को **एक यूनिटी मॉल** स्थापित करने की प्रेरणा है। इस हेतु नई मांग के माध्यम से हम यूनिटी मॉल की स्थापना व संचालन करने का बजट प्रावधान कर रहे हैं।

126. वित्तीय वर्ष 2022–23 में मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट पॉलिसी, 2015 एवं मेगा टेक्सटाइल पॉलिसी, 2016 के अंतर्गत निवेश करने वाली 08 औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा रू. 21 करोड़ 40 लाख रूपये की धनराशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की गयी है।

127. निजी क्षेत्रों के औद्योगिक सम्पदाओं व क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने हेतु **''प्राईवेट इण्डस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी''** स्वीकृत की गयी है।

128. सिडकुल द्वारा केन्द्र सरकार की **''प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना''** के अन्तर्गत एकीकृत औद्योगिक आस्थान सितारगंज फेज–2, जिला ऊधमसिंहनगर में 40 एकड़ भूमि में प्लास्टिक पार्क विकसित किया गया है, जिसमें 16 इकाइयों को प्लॉट आवंटित किये जा चुके हैं। इस प्लास्टिक पार्क में प्रस्तावित निवेश रू. 2 सौ 50 करोड़ रूपये है इससे 2 हजार 5 सौ व्यक्तियों के लिये **रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।**

129. **अमृतसर कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना** के अंतर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार के मध्य 50:50 प्रतिशत् भागीदारी रहेगी। भारत सरकार की ओर से इन्फ्रा डेवलपमेन्ट के लिये 410 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी एवं **युवाओं के लिये रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे।**

अध्यक्ष जी,

130. ऊर्जा की उपलब्धता अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। आर्थिक गतिविधियों व जीवनशैली में परिवर्तन आदि के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। फिर भी हम **अवेलेबिलिटी (उपलब्धता) एक्सेस (पहुँच) और एफार्डबिलिटी (वहनीयता)** के लिए कार्य कर रहे हैं। हम ऊर्जा अवसंरचना का विकास करने के लिए प्रयासरत हैं।

131. हमारी सरकार द्वारा ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने का सतत् प्रयास जारी है। **व्यासी जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट क्षमता)** के कार्य को पूर्ण कर लोकार्पण मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा एवं **कालीगंगा–द्वितीय लघु जल विद्युत परियोजना** (4.5 मेगावाट क्षमता) का लोकार्पण मा० राष्ट्रपति महोदया द्वारा किया गया है। '**रिनोवेशन, मॉर्डनाइजेशन एण्ड अपग्रेडेशन**' **(आर.एम.यू.)** के अंतर्गत 90 मेगावाट की तिलोथ परियोजना का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

132. **लखवाड़ परियोजना** के निर्माण हेतु **लैटर ऑफ अवार्ड** दिनांक 01.02.2023 को जारी कर दिया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू. पांच सौ करोड़ (रू. 500.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।

133. केन्द्र सरकार की योजना **रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर स्कीम** के अंतर्गत विद्युत हानियों को कम किये जाने के उद्देश्य से स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की स्थापना तथा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2024–25 तक पूर्ण किया जाना है, इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू. एक सौ तीस करोड़ (रू. 130.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।

134. **ऊर्जा की बचत ऊर्जा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।** अतः ऊर्जा एफिशिएन्सी तथा बचत उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे बड़े वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा सेवा कंपनी कार्य मॉडल के माध्यम से किया जाएगा। यह क्षमता निर्माण एनर्जी ऑडिट के लिए जागरूकता कार्य निष्पादन संविदा तथा सामान्य माप एवं सत्यापन प्रोटोकॉल के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगा।

135. **अध्यक्ष जी,** मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिये जाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। नई मांग के माध्यम से **सुपर एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग** हेतु रू. तीन करोड़ (रू. 3.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है यह भवन प्रदेश में एक मॉडल भवन होगा जो **''जीरो ऐमीसन''** एवं ऊर्जा की आवश्यकता की स्वयं पूर्ति करेगा।

136. अन्य नई मांग ''**पिरूल आधारित परियोजना के अध्ययन एवं विकास**'' हेतु रू. पांच करोड़ (रू. 5.00 करोड़) का इस बजट में प्रावधान किया गया है।

137. **मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना** की नियमावली में संशोधन किया गया है। योजना में युवाओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए और इस प्रकार सौर स्वरोजगार सृजित करने के लिए कुछ संशोधन किये गये हैं। अब सब्सिडी 40 प्रतिशत् कर दी गयी है तथा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लगाने में लागत की दर भी 40 हजार रूपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 50 हजार रूपये प्रति किलोवाट कर दी गयी है।

138. उत्तराखण्ड के राजकीय भवनों में शत–प्रतिशत् अनुदान पर 40,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता एवं घरेलू / व्यवसायिक भवनों में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की स्थापना प्रस्तावित है। राज्य में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिये जाने के लिये सरकारी भवनों व उद्योगो में ऊर्जा की बचत के लिये ऊर्जा संरक्षण आधारित योजनाए संचालित की जा रही है।

अध्यक्ष जी,

139. **हम ज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं।** नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम परम्परागत ज्ञान के साथ विज्ञान का शानदार संगम करना चाहते हैं। **हमारी सरकार ने फरवरी, 2023 में प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का देहरादून में आयोजन किया। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार को खेत–खलिहान व काश्तकार से जोड़ने की यह एक पहल है। इस आयोजन के अन्तर्गत ग्राम–चौपाल में देश के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों के वैज्ञानिकों के साथ राज्य के काश्तकारों को सीधे–सीधे संवाद का अवसर मिला। कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स, ब्लॉक चैन व ड्रोन के उपयोग को हमारे काश्तकारों भाईयों ने सीखा। विज्ञान और परम्परागत ज्ञान के**

समन्वय द्वारा काश्तकारों के भाईयों के आय में वृद्धि करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयत्नशील हैं।

140. ड्रोन आधारित प्रणाली में अपार सम्भावना है। ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेण्टर सूचना प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में इन सम्भावनाओं में कार्य किया जा रहा है साथ ही **'डाटा नीति'** व **'ई–वेस्ट नीति'** के सन्दर्भ में कार्यवाही गतिमान है।

141. ई–गवर्नेंस की पहल को व्यापक सफलता मिल रही है। **ई–ऑफिस** सचिवालय सहित अनेक कार्यालयों में सफलतापूर्वक लागू है।

अध्यक्ष जी,

कर्म ही आराधना है,
अग्रणी उत्तराखण्ड की कामना है,
इस ध्येय में हम अनवरत आगे बढ़ेंगे,
आयेगीं आंधियां तो लड़ेंगे।
हम नित आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्ष जी,

142. हमारे पर्वतीय प्रदेश के आर्थिक विकास की राह प्रशस्त करने के लिए सुचारू संचार और संयोजन अपरिहार्य शर्त है। इस दिशा में हमें केन्द्र सरकार से अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज **मल्टी मोडल कनेक्टिविटी** देने के लिए हर स्तर पर कार्य गतिमान है। हमने निर्बाध संचार व संयोजकता के दृष्टिगत नवनिर्माण व अनुरक्षण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रावधान किये हैं। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत क्रैश बैरियर निर्माण में संतृप्तता प्राप्त करने को प्राथमिकता दी है। साथ ही अनुरक्षण भी हमारी प्राथमिकता है।

143. हाल के वर्षों में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य सरकार की पहल पर, **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण** ने राज्य में विभिन्न परियोजनाओं को प्रारम्भ किया है।

144. हमारी सरकार के प्रथम बजट भाषण में हमनें कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त होने का उल्लेख किया था। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि :–

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में पौंटासाहिब से देहरादून तक 4–लेन चौड़ीकरण कार्य से सम्बन्धित पैकेज 01 में माह नवम्बर, 2022 में अनुबन्ध गठित किया जा चुका है।
- जनपद चम्पावत में बनबसा से नेपाल के कंचनपुर को संयोजित करने वाले भारतीय सीमा में 04 किमी0 लम्बाई में 04–लेन चौड़ीकरण परियोजना का अनुबन्ध दिनांक 19.10.2022 को गठित किया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने की लक्षित अवधि 18 माह है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही गतिमान है।
- भानियावाला से ऋषिकेश तक 04 लेन चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति प्राप्त है। कार्य की निविदा प्राप्त की जा चुकी है। कार्य पूर्ण करने की लक्षित अवधि 30 माह है।
- लालकुआॅ–हल्द्वानी–काठगोदाम बाईपास परियोजना के संरेखण का अन्तिमीकरण कार्य किया जा चुका है, जिसके अनुसार डी.पी.आर. गठन का कार्य प्रगति पर है।
- रूद्रपुर शहर में यातायात के अत्यधिक दबाव को देखते हुये रूद्रपुर बाईपास के कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी है, जिसको पूर्ण करने की लक्षित अवधि 24 माह है।

145. जनता ने इस बजट को बनाते समय विभिन्न माध्यमों से पूर्व निर्मित सड़कों का डामरीकरण एवं नवीनीकरण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाने से सम्बन्धित सुझाव प्राप्त हुये थे।

146. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि **गढ्ढा मुक्त सड़के** हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आती है अपितु **आर्थिक विकास के इंजन** को भी गति मिलती है। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि मार्गों के डामरीकरण एवं नवीनीकरण हेतु विगत वर्षों की तुलना में सुसंगत मद के अन्तर्गत यथोचित बजट प्रावधान किया गया है।

147. हमारी सरकार ने परिसम्पत्तियों के साथ–साथ अनुरक्षण को भी शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की है। इसी क्रम में पूर्व में निर्मित पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के अनुरक्षण के लिए

हम लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नई मांग **''पी.एम.जी.एस.वाई. से बनी सड़कों का अनुरक्षण''** में **रू. एक सौ पचास करोड़ (रू. 150.00 करोड़)** का प्रावधान कर रहे है। समग्रतः लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मद में **वर्तमान वर्ष के प्रावधान रू. चार सौ तीस करोड़ सड़सठ लाख (रू. 430.67 करोड़)** की तुलना में लगभग **97 प्रतिशत्** की वृद्धि करते हुए बजट में **रू. आठ सौ पचास करोड़ सैंतालिस लाख (रू. 850.47 करोड़)** का प्रावधान किया गया है। अवगत कराना है कि अनुरक्षण मद में मुख्यतः सड़क वे सेतु का अनुरक्षण सम्मिलित है।

अध्यक्ष जी,

148. **केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि योजना** के अन्तर्गत जनपद नई टिहरी में गंगा नदी के ऊपर पूर्व निर्मित लक्ष्मण झूला पुल के समीप बजरंग सेतु का निर्माण कार्य सम्पादित किया जा रहा है। सेतु का निर्माण कार्य, जुलाई 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

अध्यक्ष जी,

149. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** राज्य की अति–महत्वपूर्ण योजना है। सर्वऋतु सडकों के बनने से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक पहुंच सुगम हुई है। सडक निर्माण से जहां एक ओर आवागमन की सुगमता हुई है वहीं दूसरी ओर दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों के स्थानीय उत्पादों को बाजार सुलभ होने के कारण उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त होने लगा है। जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। ग्रामीण सड़क मार्गों के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों तक अन्य सुविधाओं के साथ–साथ चिकित्सीय सुविधाओं की पहुंच भी आसान हो गयी है और तत्काल चिकित्सकीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है।

150. मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–3** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2,288 कि0मी0 के आवंटन के सापेक्ष समस्त स्वीकृतियां प्राप्त कर **मार्च, 2025** तक मार्गों के सुदृढ़ीकरण करने का लक्ष्य है। माह मार्च, 2023 के उपरान्त अवशेष असंयोजित बसावटों को आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में सड़क सम्पर्क से संयोजित करते हुए 250 से अधिक आबादी की समस्त पात्र असंयोजित बसावटों का संयोजन पूर्ण करने के लिए हम प्रयासरत है।

151. वित्तीय वर्ष 2022–23 में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत लगभग रू. 935.00 करोड़ का व्यय कर 579 कि0मी0 लम्बे मार्गों पर निर्माण कार्य पूर्ण 250 से अधिक आबादी की 24 बसावटों को सड़क सम्पर्क प्रदान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

152. निर्बाध संचार की हमारी प्रतिबद्धता हमको प्रदेश की राजधानी देहरादून में **मेट्रो रेल** की रूप–रेखा तैयार करने की अभिप्रेरणा देती है। इस हेतु आगामी बजट में पूंजीगत मद में रू. एक सौ एक करोड़ (रू. 101.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

153. **मल्टी मोडल** का एक रूप **रोपवे** है। यह अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत **यमुनोत्री रोपवे** परियोजना का निर्माण पी.पी.पी. मोड में विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन कर अनुबन्ध हस्ताक्षरित कर लिया गया है।

154. हेमकुण्ड साहिब तथा श्री केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम बनाने हेतु गोविन्दघाट से हेमकुण्ड साहिब तथा सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे का निर्माण किये जाने हेतु मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 21.10.2022 को शिलान्यास किया गया है।

अध्यक्ष जी,

155. प्रदेश की भू–स्थिति को देखते हुए एवं सशक्त उत्तराखण्ड के लिए उन्नत नागरिक उड्डयन तंत्र की आवश्यकता है। हम एयर कनेक्टिीविटी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी सरकार **पयर्टन की दृष्टि से महत्वपूर्ण व आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर हेलीपैड से संतृप्त करने का प्रयास कर रही है।**

156. नागरिक उड्डयन हेलीपेड हेतु **नगर निगम हरिद्वार** की भूमि अधिग्रहण किये जाने के कारण नगर निगम हरिद्वार को मुआवजे के भुगतान हेतु नई मांग के माध्यम से रू. तिरसठ करोड़ साठ लाख (रू. 63.60 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है ।

157. **जौलीग्रांट एयरपोर्ट** को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा **पंतनगर एयरपोर्ट** को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा **ओ.एल.एस.** सर्वे कर लिया गया है।

अध्यक्ष जी,

158. सड़क दुर्घटना एक गम्भीर चिंता का विषय है। सड़क सुरक्षा के लिए सुचिन्तित योजनाओं की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने इस समस्या को समग्रता की दृष्टि से देखा है। सुरक्षित सड़क, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, दक्ष ड्राइवर, फिट वाहन आदि सभी बिन्दुओं को समेटे हुए एक ''**होलिस्टिक एप्रोच''** को प्राथमिकता दी है। इस सन्दर्भ में बजट में मुख्यतः लोक निर्माण विभाग व परिवहन विभाग के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत यथोचित प्रावधान किये गये हैं।

159. परिवहन विभाग के संदर्भ में ''**थ्रस्ट एरिया''** सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा के बेहतर उपाय करना है। समग्र रूप से मार्ग अभियांत्रिकी (रोड़ इंजीनियरिंग) के अंतर्गत मार्ग निर्माण की गुणवत्ता में सुधार, क्रैश बैरियर की स्थापना आदि कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि निर्माण से सम्बन्धित विभागों के स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है।

160. **सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु हमारी सरकार ने गम्भीर प्रयत्न किये हैं।** ओवरस्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु व्यावसायिक वाहनों में **गतिनियन्त्रक उपकरणकी अनिवार्यता** की गयी है। दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक लगभग 1 लाख 09 हजार वाहनों में गतिनियन्त्रक उपकरण संयोजित किये जा चुके हैं।

161. चालकों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की दृष्टि से माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी के साथ सॉफ्टवेयर ''**हारनेशिंग ऑटोमोबाईल फॉर सेफ्टी''** विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से चालकों की परीक्षा ऑटोमेटेड रूप से लिये जाने की व्यवस्था है तथा परीक्षा की रिकॉर्डिंग हेतु सी.सी.टी.वी. की व्यवस्था की गयी है।

162. राज्य की सीमाओं पर स्थापित चैकपोस्टों को समाप्त करते हुए विभाग द्वारा 29 मोटरसाइकिल प्रवर्तन दल तथा 09 मोबाइल टास्कफोर्स गठित की गयी है, जो **चौबीसों घण्टे (राउण्ड द क्लॉक)** संचालित होंगी।

163. वाहनों के निर्बाध संचालन के दृष्टिगत एवं मानवीय हस्तक्षेप द्वारा प्रवर्तन में कमी करने एवं वाहनों की इलेक्ट्रानिक मॉनिटरिंग के लिए 10 स्थानों पर **ए.एन.पी.आर.** कैमरों की स्थापना की जा रही है। उक्त कैमरों के माध्यम से प्राप्त डाटा का उपयोग परिवहन विभाग के साथ–साथ राज्य कर विभाग, पुलिस विभाग, भू–तत्व व खनन विभाग तथा पर्यटन विभाग द्वारा भी किया जायेगा।

164. **ई–गवर्नेन्स के माध्यम से जनता को परिवहन सम्बन्धी ऑनलाइन सेवायें प्रदान की जा रही है।** सभी 19 संभागीय व उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में वैब आधारित **'वाहन 4.0'** एवं **'सारथी 4.0'** रोल आउट कर दिया गया है। ऑनलाइन सेवाओं हेतु जन–सुविधा केन्द्रों को अधिकृत किया गया है। **लाइसेन्स सम्बन्धी** समस्त सेवायें ऑनलाइन प्रारम्भ कर दी गयी है। वाहनों के पंजीयन से सम्बन्धित 13 सेवायें ऑनलाइन थी, माह नवम्बर, 2022 में 06 अन्य सेवाएं यथा परमिट, अस्थायी परमिट, ट्रेड सर्टिफिकेट, स्टेट कैरेज टैक्स, अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों से उपकर एवं चालान का प्रशमन शुल्क ऑनलाइन कर दिया गया है।

165. हमारी सरकार **इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन** नियमित अंतराल पर स्थापना करने हेतु भी प्रयासरत है।

166. मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि **इन्स्टीटयूट ऑफ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट रिसर्च**, झाझरा, जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में टेस्ट ट्रैक का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। ऋषिकेश एवं कोटद्वार में ट्रैक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। अल्मोड़ा एवं काशीपुर में ट्रैक निर्माण हेतु डी.पी.आर. अनुमोदन की कार्यवाही गतिमान है।

167. आगामी वित्तीय वर्ष में नई मांग के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में किये जा रहे प्रावधान का उल्लेख कर रहा हूँ :–

- वाहन चालक की दक्षता सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में समस्त अनुज्ञा प्राधिकारियों के कार्यालयों में ''**ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट**'' की सुविधा विकसित किया जाना प्रस्तावित है। **आटोमेटेड टेस्टिंग लेन, चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु रू. चौबीस करोड़ (रू. 24.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।**

- वाहनों की फिटनेस टेस्टिंग की गुणवत्ता में भी सुधार आवश्यक है, जिसके लिए ''**ऑटोमेटेड वैकिल टैस्टिंग स्टेशन**'' की स्थापना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान ऐसी सुविधा समस्त जिलों में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। व्हीकल टेस्टिंग सेंटर का निर्माण के लिए **रू. दस करोड़ (रू. 10.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।**
- वाहन चालकों को प्रशिक्षण के लिए **रू. साठ लाख (रू. 60.00 लाख) का प्रावधान किया जा रहा है।**
- चारधाम यात्रा मार्गों पर वाहन चालक हेतु विश्राम, चिकित्सा एवं अन्य सुविधा के लिए **रू. पचास लाख (रू. 50.00 लाख) का प्रावधान किया जा रहा है।**

अध्यक्ष जी,

168. देवभूमि उत्तराखण्ड सदैव से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। हमारे यहां अनुभूतियों के स्तर पर समृद्ध होने तथा आनंद मिश्रित रोमांच लेने के असीम अवसर है। जो विविधता हमारें यहां है, वह अन्यत्र दुर्लभ है।

योग के साथ–साथ,
आयुष के ज्ञान से,
गगन चुंबी चोटियां,
और गंगा में स्नान से,
दिव्य एक पहचान है,
अप्रतिम स्थान है।

169. आयुष और योग की समृद्ध परम्परा से चिकित्सा पर्यटन की असीम सम्भावना हमारे यहां है। हमारें यहां ग्रामीण पर्यटन की भी अच्छी सम्भावना है। पर्यटकों का रूझान भी ग्रामीण पर्यटन की तरफ बढ़ा है। शहर की आपाधापी से दूर गांव की खुली आबो हवा, हरियाली और मिट्टी की सोंधी महक पर्यटकों को सुकून देती है। इस परिदृश्य में **होम–स्टे** और **इको टूरिज्म** के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। यह कदम प्रदेश की आर्थिकी से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है।

170. **भव्य, सुरक्षित और सुगम चार–धाम यात्रा** का संचालन हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु सुचारू सम्पर्क मार्ग और संयोजकता के साथ–साथ आधारभूत सुविधाओं की सुनिश्चितता शीर्ष प्राथमिकता में है। पेयजल, परिवहन, पर्यटन, स्वास्थ्य, आदि के तत्वावधान में योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक बजटीय प्रावधान किये गये हैं। चारधाम यात्रा मार्गों पर वाटर ए.टी.एम. अधिष्ठापित किये गये है तथा आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है।

171. हमारी सरकार की सतत् प्रयासों से उत्तराखण्ड फिल्म शूटिंग का पसंदीदा स्थान के रूप में पहचान बना रहा है। यह प्रदेश की आर्थिकी के विस्तार एवं रोजगार के नये अवसर के आलोक में महत्वपूर्ण है। इस बजट में **फिल्म परिषद की स्थापना** के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में **रू. ग्यारह करोड़ (रू. 11.00 करोड़)** का प्रावधान किया गया है।

172. हमारी सरकार द्वारा पर्यटन के विकास के लिए नीतिगत एवं बजटीय प्रावधान किये जा रहे है। प्रंसगवश मैं यहां कुछ बजटीय प्रावधान का उल्लेख कर रहा हूँ :–

- उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु रू. तिरसठ करोड़ (रू. 63.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण हेतु रू. साठ करोड़ (रू. 60.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है। इससे मानसखण्ड व केदारखण्ड के चिन्हित मंदिरों का पुनरूद्धार किया जा सकेगा।
- टिहरी झील का विकास के निर्माण हेतु रू. पन्द्रह करोड़ (रू. 15.00) करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- उत्तराखण्ड के योग महोत्सव हेतु रू. दो करोड़ (रू. 2.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना हेतु रू. पांच करोड़ (रू. 5.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- ईको टूरिज्म हेतु रू. पांच करोड़ (रू. 5.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- चार धाम यात्रा/मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण/विकास हेतु रू. 10 करोड़ (रू. 10.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- तेरह डिस्ट्रिक्ट–तेरह न्यू डेस्टिनेशन का विकास हेतु रू. दस करोड़ (रू. 10.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

- स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्सन एवं वैलनस सिटी का निर्माण हेतु रू. एक करोड़ (रू. 1.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- पर्यटन विभाग अन्तर्गत चार धाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु रू. 50 करोड़ (रू. 50.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

''मनुष्य ने नगरों का निर्माण किया है,
किन्तु ग्राम सृष्टिकर्ता की कृति है''।

173. प्रदेश की आत्मा गांव में बसती है। हम ग्राम्य विकास की नींव मजबूत करना चाहते हैं। हमारा पूर्ण विश्वास है कि **खुशहाल ग्राम्य जीवन ही संतुलित शहरी विकास को सुनिश्चित करेगा।** हम गांव के स्तर पर आधारभूत सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत हैं। शिक्षा, चिकित्सा, निर्बाध ऊर्जा, संचार व संयोजकता तथा रोजगार या स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता ग्रामीण स्तर पर करने के लिए सतत् प्रयास जारी है। सरकार द्वारा पलायन रोकने व रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने तथा गांव की आर्थिकी को बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है।

174. हमारी सरकार ने गांव के सुनियोजित विकास के लिए एक नई योजना **''ग्राम्य विकास महायोजना''** प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत आगामी **वित्तीय वर्ष में रू. पांच करोड़ (रू. 5.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।**

175. स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को **''लखपति दीदी''** बनाने का प्रयास जारी है। विभिन्न मूल्य श्रृंखलाओं आधारित गतिविधियों को चिन्हित कर ''**किसान उत्पादक संगठन**'' विकसित करने की कार्ययोजना है। **रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर** योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 से हब एवं स्पोक मॉडल के तहत सभी जनपदों में रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने की योजना है।

176. **आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत सरोवर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से सूखे पहाड़ों को हरा–भरा करने के साथ–साथ खेती हेतु भी सिंचित भूमि में वृद्धि होगी। कृषि की सहायक गतिविधियों जैसे मत्स्य पालन आदि को बढ़ावा दिया जा सकेगा तथा पयर्टन भी विकसित होगा। इन सबके सम्मिलित प्रभाव से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी।**

177. हमारे राज्य को 75 सरोवर प्रति जनपद की दर से 975 अमृत सरोवर बनाये जाने का लक्ष्य दिया गया था जिसके सापेक्ष राज्य ने 1,222 अमृत सरोवरों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया यह लक्ष्य की तुलना में 125 प्रतिशत् है। आतिथि तक 1,100 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। राज्य में अमृत सरोवरों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 340 अमृत सरोवरों को मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन हेतु दिया गया है।

178. **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** द्वितीय फेज वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक कुल 35,074 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके सापेक्ष कुल 34,098 आवास माह फरवरी, 2023 तक स्वीकृत है तथा कुल 15,440 आवास पूर्ण कराये गये हैं। निर्माणाधीन 18,658 आवासों को माह मार्च, 2024 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लाभार्थियों को मकान पूरा होने पर घर के उपयोग हेतु आवश्यक साजो–सामान व बर्तन आदि की खरीद हेतु राज्य सरकार से प्रति लाभार्थी रू. 5,000 की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गयी है। **वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु समग्र रूप से** लगगभ **रू. तीन सौ अठ्ठारह करोड़ चौहत्तर लाख (रू. 318.74 करोड़) का प्रावधान किया गया है।**

अध्यक्ष जी,

179. **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना** के अन्तर्गत ग्रामीण गरीब परिवार के युवाओं को विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह फरवरी, 2023 तक योजनान्तर्गत कुल 7,552 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण किया गया, जबकि 3,807 अभ्यर्थी प्रशिक्षणरत है। वित्तीय वर्ष में कुल 5,914 अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ा गया, जिनमें से 3,705 अभ्यर्थियों द्वारा 03 माह अथवा उससे अधिक अवधि का रोजगार पूर्ण किया जा चुका हैं। योजनान्तर्गत राज्य में कुल 19 सेक्टरों के 86 ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

180. वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में 4,763 महिला अभ्यर्थी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा 2,584 महिला अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ा गया।

राजकीय बालिका गृह, अल्मोड़ा के बाल सुधार केन्द्र के महिला अभ्यर्थियों को योजना के अन्तर्गत **सिलाई मशीन ऑपरेटर** का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

181. वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 46 आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं, जिनमें 2 प्रशिक्षण केन्द्र दिव्यांग युवक युवतियों के लिये स्थापित किये गये तथा इन केन्द्रों में दिव्यांगजनों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है। कुल 359 दिव्यांग अभ्यर्थी का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया जबकि 165 दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है, 48 दिव्यांग अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ा गया एवं शेष दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। **वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना हेतु रू. छियालिस करोड़ छाछठ लाख (रू. 46.66 करोड़) का प्रावधान किया गया है।**

182. **मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना** हेतु **आगामी बजट में रू. पच्चीस करोड़ (रू. 25.00 करोड़) तथा मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना** के अन्तर्गत रू. बीस करोड (रू. 20.00 करोड़) **का प्रावधान किया गया है।**

183. **''मेरा गांव–मेरी सड़क''** योजना हेतु **आगामी बजट में रू. सात करोड़ (रू. 7.00 करोड़) तथा ग्रामीण व्यवसाय इन्क्यूबेटर हेतु रू. दस करोड़ (रू. 10.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।**

184. वाह्य सहायतित ग्रामीण उद्यम वेगवृद्वि परियोजना हेतु **आगामी बजट में रू. एक सौ करोड़ (रू. 100.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।**

185. मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतु **आगामी बजट में रू. पांच करोड़ (रू. 5.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।**

186. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु **आगामी बजट में समग्र रूप से रू. पांच सौ एक्कीस करोड़ पचपन लाख (रू. 521.55 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।**

अध्यक्ष जी,

187. पंचायती राज व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में 200 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। राष्ट्रीय ग्राम्य स्वराज अभियान के

अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में **रू. एक सौ चौवन करोड़ चार लाख (रू. 154.04 करोड़)** का बजट प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

188. नियोजन प्रक्रिया में जिला एक महत्वपूर्ण इकाई होता है। जिला योजना के अन्तर्गत जिले में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि जिला योजना को और प्रभावी बनाया जाये एवं इसीलिए इस बजट में **वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रावधान रू. 7 सौ 33 करोड़ 72 लाख के सापेक्ष लगभग 26 प्रतिशत् की वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष में रू. 9 सौ 25 करोड़ 60 लाख 98 हजार का प्रावधान किया गया है।**

अध्यक्ष जी,

189. शहरी विकास विभाग द्वारा केन्द्रीय योजनाओं को सफलता पूर्वक संचालित करने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा विभिन्न पुरस्कार राज्य को प्रदान किये गये हैं, जिसके अंतर्गत **''स्वच्छ सर्वेक्षण–2022''** हेतु प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार समेत राज्य की निकायों को कुल 06 पुरस्कार प्राप्त हुए। दीनदयाल उपाध्याय–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत हिमालयीय राज्यों में राज्य को रु. 2.00 करोड़ की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर निकाय देवप्रयाग को राष्ट्रीय स्तर पर हिमालयीय राज्य श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया।

190. शहरी विकास विभाग के तत्वावधान में नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत प्राथमिक शहरी सेवाओं–पेयजल, जल–मल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, बरसाती जल प्रबंधन, आदि कार्य किये जा रहे है तथा भविष्य की जरूरतों के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधाओं के विकास का प्रयास किया जा रहा है।

191. शहरों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सुनियोजित तैयारी एवं आवश्यक अवसंरचना की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस स्थिति में हमारी सरकार शहरी विकास से सम्बन्धित नई योजना लेकर आयी है। मैं यहां इन योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ :–

- विभिन्न नगरों की महायोजनाएं तैयार करना,
- ग्रीन फील्ड/ब्राउन फील्ड शहरों की स्थापना एवं निर्माण,
- हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना,

- ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करना,
- ऋषिकेश शहर के एकीकृत विकास हेतु वाह्य सहायतित परियोजना,
- हरिद्वार हैलीपैड हेतु भूमि क्रय,
- मेट्रो रेल का निर्माण,
- रैन बसेरों का संचालन, एवं
- निराश्रित पशुओं हेतु आश्रय निर्माण, एवं संचालन।

192. राज्य में शहरों के सुनियोजित विकास को देखते हुए **उत्तराखण्ड पारगमन उन्मुख विकास नीति, 2022** तथा **उत्तराखण्ड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइटस पॉलिसी, 2022** अधिसूचित की गयी है ।

193. **मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास** योजना के अन्तर्गत स्थानीय निकायों की सीमान्तर्गत मूल–भूत नागरिक सुविधाओं यथा–ड्रैनेज, सड़क, नालियों का निर्माण/सुधार आदि जिनके लिए केन्द्र पोषित योजनाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो सकती, के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। **वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु पूंजीगत मद में रू. पच्चीस करोड़ (रू. 25.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।**

194. **श्वान पशु बन्ध्याकरण के लिए ए.बी.सी. कैम्पस का निर्माण एवं संचालन** योजना के अन्तर्गत आवारा श्वान पशुओं के बन्ध्याकरण हेतु नगर निकायों में एनिमल बर्थ कन्ट्रोल (ए0बी0सी0) कैम्पस का निर्माण एवं संचालन किया जा रहा है। **वित्तीय वर्ष 2023–24 में समग्र रूप से रू. तीन करोड़ (रू. 3.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।**

195. **रैन बसेरों का निर्माण** योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत बेघर और बेसहारा लोगों को रात्रि आश्रय प्रदान करने तथा शीत ऋतु में ठण्ड से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से रैन बसेरों का निर्माण किया जाता है। **वित्तीय वर्ष 2023–24 में रैन बसेरों का निर्माण हेतु पूंजीगत मद में रू. एक करोड़ (रू. 1.00 करोड) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त नई मांग के माध्यम से रैन बसेरों के संचालन के लिए राजस्व मद में भी धनराशि का प्रावधान किया गया है।**

अध्यक्ष जी,

196. शहरी जीवन प्रणाली को बेहतर परिवेश देने के लिए गम्भीर प्रयास जारी है इस हेतु विभिन्न विभागों के तत्वावधान में संचालित योजनाओं में भी आवश्यक बजटीय प्रावधान करने का प्रयास किया गया है।

197. **गौ सदन का निर्माण** हेतु पशुपालन विभाग के अन्तर्गत राज्य के स्थानीय निकायों में निराश्रित पशुओं के सरंक्षण हेतु गौ सदनों की स्थापना मद में लगभग **रू. चौदह करोड़ पन्द्रह लाख (रू. 14.15 करोड़) का बजट प्रावधान** किया गया है। **गौ पालन योजना** हेतु पशुपालन विभाग के अन्तर्गत राज्य की स्थानीय निकायों में गौ सदन में सरंक्षित किये जाने वाले पशुओं की देख–रेख, चारा, पानी व चिकित्सा व्यय हेतु लगभग **रू. दो करोड़ उन्यासी लाख (रू. 2.79 करोड़) का बजट प्रावधान** किया गया है। यह निराश्रित पशुओं के कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्राथमिकता का प्रतीक है।

198. **स्वच्छ भारत अभियान** के अन्तर्गत नगरों में व्यक्तिगत/सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन, निकायों की क्षमता संवर्धन एवं प्रचार–प्रसार हेतु धनराशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु समग्र रूप से लगभग रू. दो सौ सत्ताईस करोड़ सत्तर लाख (रू. 227.70 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।

199. **अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)** के अन्तर्गत शहरी परिवारों को मूलभूत सुविधाएं यथा–जलापूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, पार्क निर्माण, परिवहन व्यवस्था आदि उपलब्ध करायी जानी हैं। योजनान्तर्गत 06 नगर निगम (देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी–काठगोदाम) तथा पर्यटन नगरी, नैनीताल को सम्मिलित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु समग्र रूप से लगभग रू. एक सौ सैंतालिस करोड़ बीस लाख (रू. 147.20 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।

200. **प्रधानमंत्री आवास योजना (हाऊस फॉर ऑल)** के अन्तर्गत प्रदेश की नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत ऐसे परिवार, जिनके पास आश्रय नहीं है, को आवास उपलब्ध कराया जाना

है। योजनान्तर्गत शहरों में 17,217 बीएलसी तथा 13,180 एएचपी आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु लगभग रू. एक सौ चौरानबे करोड़ (रू. 194.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।

201. **स्मार्ट सिटी योजना** के अन्तर्गत देहरादून शहर में **इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर**, **डाटा सेन्टर**, **ई–गवर्नेन्स**, **इंटीग्रेटेड सर्विस** तथा **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, परेड ग्राउण्ड रेजुवेशन ,वाटर ए.टी.एम., स्मार्ट टॉयलेट, ड्रेनेज, पेयजल संवर्धन, स्मार्ट रोड**, **सिवरेज** आदि कार्य किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु समग्र रूप से रू. दो सौ एक करोड़ (रू. 201.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।

202. **सिटी इन्वेस्टमेंट इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन** (CITIIS) **प्रोग्राम का उद्देश्य** स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए बाल अनुकूल क्षेत्र बनाना और बच्चों को सुलभ आवागमन सुविधा एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करके बाल अनुकूल शहर विकसित करना है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु समग्र रूप से रू. तेइस करोड़ (रू. 23.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।

203. **नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण–(ए0डी0बी0)** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु समग्र रूप से रू. अड़तीस करोड़ पचहत्तर लाख (रू. 38.75 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।

204. **नगर अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी)** योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु समग्र रूप से रू. नब्बे करोड़ (रू. 90.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी,

205. हम सुदृढ़ कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देवभूमि की आबो हवा बिगाड़ने वाले हर शख्स के विरूद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

206. पर्वतीय क्षेत्रों के कतिपय भागों में विद्यमान राजस्व पुलिस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर नियमित पुलिस व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु 06 नवीन थानों तथा 20

पुलिस रिपोर्टिंग चौकियों का सृजन किया गया। इसके साथ ही 52 थानें एवं 19 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार किया गया।

207. राष्ट्रीय ई–शासन योजना एवं जन सुविधा हेतु सामग्री, अभिलेखों की गुमशुदगी तथा वाहन चोरी के प्रकरणों में e-FIR पंजीकृत करने हेतु साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून को **''ई–थाना''** अधिकृत कर ऑनलाइन एफ.आई.आर. की सुविधा प्रदान की गयी।

208. भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों के अनुसार लूटी, चोरी सम्पत्ति बरामदगी का राष्ट्रीय औसत 30.2 प्रतिशत है। सभी प्रदेश/केन्द्र शासित प्रदेशों में लूटी/चोरी सम्पत्ति की बरामदगी में 68 प्रतिशत के साथ **उत्तराखण्ड राज्य का प्रथम स्थान** है।

209. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष–2022 में देश के टॉप–10 थानों में उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चम्पावत के थाना बनबसा को तृतीय स्थान प्रदान किया गया है।

210. प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में कुल 368 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी। साईबर फ्रॉड के मामलों में प्रदेश पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करके नाईजीरियन, चाईनीज गिरोहों सहित कई बड़े साईबर गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया। उत्तराखण्ड एस0टी0एफ द्वारा **पॉवर बैंक** एप से चाईना सहित देश–विदेश में करीब 360 करोड़ से अधिक ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसके उपरान्त अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की ठगी के 300 से अधिक FIR पंजीकृत हुई है।

211. महिलाओं अपराधों की रोकथाम के साथ–साथ अपराध घटित होने पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा **गौरा शक्ति योजना** के तहत उत्तराखण्ड पुलिस एप में **गौरा शक्ति मॉड्यूल** दिया गया है।

अध्यक्ष जी,

212. हमारी भू–स्थिति ऐसी है कि हम एक ओर नैसर्गिक सौन्दर्य से भरपूर है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदा की मार भी हमारे राज्य को सहनी पड़ती है। भू–स्थैतिक विशिष्टियों के कारण हम आपदाओं को रोक तो नहीं सकते लेकिन दुष्प्रभाव को कम

कर सकते हैं, सजगता व सतर्कता का परिचय देते हुए त्वरित राहत दे सकते है, और पुनर्वास की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि **हमारी सरकार मानवीय दृष्टिकोण को केन्द्र में रखकर सुनियोजित तरीके से प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन के कार्य को त्वरित रूप से कर रही है।**

213. इस वर्ष हमें जोशीमठ में भू–धसांव का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार ने आपदा प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो कि किराये के मकान पर निवास करते हैं, उनको किराये के रूप में अधिकतम 6 माह के लिये प्रतिमाह रू. 4 हजार की धनराशि जोशीमठ के आपदा प्रभावित व्यक्तियों हेतु बढाकर रू. 5 हजार प्रतिमाह किया गया है। आपदा में प्रभावित व्यक्तियों के सहकारी बैंक की ऋण वसूली तत्काल प्रभाव से स्थगित की तथा स्थायी पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति प्रख्यापित की।

214. भू–स्खलन व भू–धसांव से प्रभावित भू–भवन स्वामियों का एक जनपद स्तरीय समिति के माध्यम से क्षति आंकलन का सर्वे कराते हुए, उसके उपरान्त उनकी भूमि तथा निर्मित भवन, पुनर्निर्माण आदि सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में राहत पैकेज प्राप्त किये जाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

215. **अध्यक्ष जी,** हमारी सरकार नई मांग **जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू–धसांव व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य** किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू. एक हजार करोड़ (रू. 1000.00 करोड़) का बजट प्रावधान कर रही है।

अध्यक्ष जी,

216. अग्रणी राज्य बनने के सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन अपरिहार्य है। समावेशी विकास की हमारी प्रतिबद्धता हमको जनकल्याण के कार्यों को करने की सतत् प्रेरणा देती है **वहीं दूसरी ओर वित्तीय संसाधन का तार्किक प्रयोग करना तथा राजस्व की अभिवृद्धि करना** अग्रणी राज्य बनने की अपरिहार्य शर्त है। यशस्वी प्रधानमन्त्री जी के कुशल मार्ग निर्देशन में केन्द्र सरकार के राजस्व प्राप्ति में आशातीत सफलता प्राप्त हो रही है। परिणामतः आज हमारे प्रदेश को केन्द्रीय करों में राज्य का अंश न केवल नियमित समय पर अन्तरित हो रहा है, अपितु पूर्वापेक्षा अधिक धनराशि भी अन्तरित हो रही है, साथ ही विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं में केन्द्र सरकार का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है।

217. इस क्रम में अपने स्वंय के संसाधनों की अभिवृद्धि के सतत प्रयास हमारी सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये हैं। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि हम इस वर्ष **स्टेट गुडस एण्ड सर्विसेज टैक्स तथा स्टाम्प विक्रय** से राजस्व प्राप्ति के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अग्रणी राज्य बनने हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन का प्रबन्ध करने के लिए यह हमारी सतत् प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

218. **अध्यक्ष जी,** मुझे इस सम्मानित सदन को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम केंद्रीय वित्त आयोग और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राजकोषीय मानकों को बनाए रखने में सफल रहे हैं।

219. सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे हैं। **पुनरीक्षित अनुमान 2022–23 में ऋण जी.एस.डी.पी अनुपात 28.11 प्रतिशत् है**, जो कि निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है। हम **राजकोषीय विवेक** के मार्ग पर आगे भी अग्रसर रहेंगे, क्योंकि यही सतत् आर्थिक विकास का एकमात्र रास्ता है।

220. वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न केन्द्रीय, केन्द्र पोषित व राज्य पोषित योजनाओं के माध्यम से राज्य में समग्र पूंजीगत निवेश की अभिवृद्धि के लिए गम्भीर प्रयास हो रहे है। राज्य के भविष्य के लिए, इस पूंजीगत परिव्यय को गुणवत्तापूर्ण बनाते हुए पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। इस बजट में आगामी वर्ष हेतु **रू. तेरह हजार एक सौ तेंतीस करोड़ अस्सी लाख (रू. 13133.80 करोड़) का पूंजीगत परिव्यय** का प्रावधान किया गया है, **जो वर्ष 2022–23 के अनुमानों से 21.16 प्रतिशत् अधिक है।**

221. हम केन्द्र सरकार के आभारी है कि अवसंरचना विकास के हमारे प्रयासों को केन्द्र सरकार ने शक्ति प्रदान की है। **''स्कीम फॉर स्पेशल एसिसनेन्स टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट''** योजना के अन्तर्गत हम **आगामी वर्ष में रू. तेरह सौ करोड़ (रू. 1300.00 करोड़)** का प्रावधान कर रहे है। यह धनराशि विभिन्न विभागों में संचालित पूंजीगत परियोजनाओं में प्रयोग की जा सकेगी। यह प्रदेश के अवसंरचना विकास के लिए संजीवनी का कार्य करेगी।

222. सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम ऑडिट की व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे है। राज्य में ऑडिट कार्य के सुदृढ़ीकरण हेतु नवीन ऑडिट मैनुअल तैयार किये जा रहे हैं। **फाइनेशियल एटेस्ट ऑडिट मैनुअल 2021**, **इंटरनल ऑडिट मैनुअल** एवं **रैवन्यु ऑडिट मैनुअल** को पूर्व में अधिसूचित कर दिये गये हैं। इसी क्रम में 07 अन्य ऑडिट मैनुअल को पूर्ण किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

अध्यक्ष जी,

हमारी सरकार मजबूत इरादों के साथ सतत रूप से राज्य के विकास और जनकल्याण को समर्पित है। **हमारी मंजिल सशक्त उत्तराखण्ड है। हम सही दिशा में है। कर्तव्यपथ पर गतिमान है। ''अग्रणी उत्तराखण्ड ''** हमारी सरकार का **विकल्प रहित संकल्प है।** हमारे प्रयास फलीभूत होंगे। मैं देवभूमि की महान जनशक्ति की सामूहिक ऊर्जा से सशक्त उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2023–2024 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल प्राप्तियाँ रू. छिहत्तर हजार पांच सौ बयानबे करोड़ चौवन लाख (रू. 76592.54 करोड़) अनुमानित हैं जिसमें रू. सत्तावन हजार सत्तावन करोड़ छब्बीस लाख (रू. 57057.26 करोड़) राजस्व प्राप्तियाँ तथा रू. उन्नीस हजार पांच सौ पैंतीस करोड़ अठ्ठाइस लाख (रू. 19535.28 करोड़) पूंजीगत प्राप्तियाँ है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजस्व प्राप्तियाँ में कर राजस्व रू. एकतिस हजार चार सौ दो करोड़ अड़तालिस लाख (रू. 31402.48 करोड़) रूपये है जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रू. ग्यारह हजार चार सौ उन्नीस करोड़ अस्सी लाख (रू. 11419.80 करोड़) सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति रू. चौबीस हजार सात सौ चौवालिस करोड़ एकतिस लाख (रू. 24744.31 करोड़) में कर राजस्व रू. उन्नीस हजार नौ सौ बयासी करोड़ अड़सठ लाख (रू. 19982.68 करोड़) तथा करेत्तर राजस्व रू. चार हजार सात सौ इकसठ करोड़ तिरसठ लाख (रू. 4761.63 करोड़) अनुमानित है।

व्ययः

वर्ष 2023–24 में ऋणों के प्रतिदान पर रू. ग्यारह हजार दौ सौ सत्ताइस करोड़ तिरसठ लाख (रू. 11227.63 करोड़), ब्याज की अदायगी के रूप में रू. छः हजार एक सौ इकसठ करोड़ चालीस लाख (रू. 6161.40 करोड़), राज्य

कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग रू. सत्रह हजार तीन सौ पंचानबे करोड़ पन्द्रह लाख (रू.17395.15 करोड़), सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं व कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रू. एक हजार चार सौ चौबीस करोड़ उन्चास लाख (रू. 1424.49 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में रू. सात हजार छः सौ एक करोड़ अट्ठानबे लाख (रू. 7601.98 करोड़), व्यय अनुमानित है। वर्ष 2023–24 में कुल व्यय रू. सतत्तर हजार चार सौ सात करोड़ आठ लाख (रू. 77407.08 करोड़) अनुमानित है। कुल व्यय में रू. बावन हजार सात सौ सैंतालिस करोड़ एकहत्तर लाख (रू. 52747.71 करोड़) राजस्व लेखे का व्यय है तथा रू. चौबीस हजार छः सौ उनसठ करोड़ सैंतीस लाख (रू. 24659.37 करोड़) पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि में घाटा/सरप्लसः

वर्ष 2023–24 के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि **रू. चार हजार तीन सौ नौ करोड़ पचपन लाख (रू. 4309.55 करोड़)** का राजस्व सरप्लस सम्भावित है एवं **रू. नौ हजार छियालीस करोड़ एक्यानबे लाख (रू. 9046.91 करोड़)** का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, **जोकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.72 प्रतिशत् है।**

लोक लेखा से समायोजनः

वर्ष 2023–24 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए **रू. छः सौ करोड़ (रू. 600.00 करोड़) लोक लेखा से समायोजित किये जायेंगे।**

शेषः

वर्ष 2023–24 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष **रू. एक सौ पैंतालीस करोड़ छाछठ लाख (रू. 145.66 करोड़)** तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात् अन्तिम शेष **रू. एक सौ एक्यासी करोड़ ग्यारह लाख (रू. 181.11 करोड़)** धनात्मक रहना अनुमानित है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मै, मंत्रीमण्डल में अपने सहयोगियों के सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करता हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है उसके लिए, मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की साहयता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं, राजकीय मुद्रणालय तथा एन.आई.सी. के

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण सम्भव हो सका।

अध्यक्ष जी,

अन्त में, मैं प्रदेश की सम्मानित जनता की आशा व आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए इन पंक्तियों को समर्पित करता हूँ :–

अपनी मानव पूंजी की,
क्षमता हम बढ़ा रहे है,
शिक्षा–चिकित्सा, सर्व सुलभ कर,
संयोजकता को बढ़ा कर,
प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगो से,
कृषि व उद्यम बढ़ा रहे है।
कार्य संस्कृति को बदलकर,
नवाचार हम ला रहे है,
युगदृष्टा प्रधानमंत्री जी के
शब्दों को ध्येय वाक्य बना रहे हैं :
''इस दशक को **उत्तराखण्ड का दशक** बना रहे है,''
हम इस दशक पर छा रहे है।

इन्ही शब्दों के साथ **आदरणीय अध्यक्ष जी**, मैं वित्तीय वर्ष 2023–24 का आय–व्ययक प्रस्तुत करता हूँ।

फाल्गुन 24 शक सम्वत् 1944
तद्नुसार
15 मार्च, 2023